141

फोन: 384475

विधि आयोग
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

न्यायाधिपति एम.पी. ठक्कर
अध्यक्ष

अ०शा० सं० 7(8)/91-वि.आ.(एल एस)

31 जुलाई, 1991

सेवा में,

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी,
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रिय मंत्री महोदय,

संदर्भ: आयोग की एक सौ इकतालीसवीं रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

न्याय के प्रश्न के अनुक्रम में संभावित अन्याय को रोकने के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय पर उच्च न्यायालयों के दो/कतिपय द्वारा विरोधी मतों को सुलझाने के लिए आयोग ने अपनी ओर से ही एक कार्य अपने हाथ में लिया था जिसका परिणाम यह एक सौ इकतालीसवीं रिपोर्ट है जिसका विषय निम्नलिखित है -

"हाजिर होने में व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जियों और दांडिक मामलों का प्रत्यावर्तन करने की न्यायालयों की शक्तियों की बाबत विधि का संशोधन करने की आवश्यकता।"

विचारणीय विषय की प्रकृति को देखते हुए ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह विषय महत्व का है और अत्यावश्यक है। अत:, आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस पर उतना ध्यान दिया जाएगा जितना कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित है।

सादर,

भवदीय,

(एम.पी. ठक्कर)

9.54R
सी/141:2

संलग्नक: 141वीं रिपोर्ट

भारत का विधि आयोग

हाजिर होने में व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जियों और दांडिक मामलों का प्रत्यावर्तन करने की न्यायालयों की शक्तियों की बाबत विधि का संशोधन करने की आवश्यकता विषय पर एक सौ इकतालीसवीं रिपोर्ट

1991

न्यायमूर्ति एम.पी. ठक्कर
अध्यक्ष

फोन: 384475
विधि आयोग
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

अ0शा0 सं0 7(8)191-वि.आ.(एल एस)

31 जुलाई, 1991

सेवा में,

श्री के.विजयभास्कर रेड्डी,
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

प्रिय मंत्री महोदय,

संदर्भ: आयोग की एक सौ इकतालीसवीं रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

न्याय के प्रश्न के अनुक्रम में संभावित अन्याय को रोकने के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय पर उच्च न्यायालयों के दो वर्गों द्वारा विरोधी मतों को सुलझाने के लिए आयोग ने अपनी ओर से ही एक कार्य अपने हाथ में लिया था जिसका परिणाम यह एक सौ इकतालीसवीं रिपोर्ट है जिसका विषय निम्नलिखित है -

"हाजिर होने में व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जियों और दांडिक मामलों का प्रत्यावर्तन करने की न्यायालयों की शक्तियों की बाबत विधि का संशोधन करने की आवश्यकता ।"

विचारणीय विषय की प्रकृति को देखते हुए ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह विषय महत्व का है और अत्यावश्यक है । अतः, आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस पर उतना ध्यान दिया जाएगा जितना कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित है ।

सादर,

भवदीय,

(एम.पी. ठक्कर)

संलग्नक: 141वीं रिपोर्ट

भारत का विधि आयोग

हाजिर होने में व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जियों और दांडिक मामलों का प्रत्यावर्तन करने की न्यायालयों की शक्तियों की बाबत विधि का संशोधन करने की आवश्यकता विषय पर

एक सौ इकतालीसवीं रिपोर्ट

1991

प्रतिलिपि:

श्री पी. आर. कुमारमंगलम,
विधि, न्याय और कंपनी कार्य राज्य मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1:	भूमिका	1
अध्याय 2:	कानूनी उपबंध	
अध्याय 3:	दांडिक मामलों में व्यतिक्रम के कारण खारिज किए जाने के बारे में न्यायिक विनिश्चय ।	
अध्याय 4:	भरणपोषण के मामलों में व्यतिक्रम के कारण खारिजी के संबंध में स्थिति और उनका प्रत्यावर्तन ।	
अध्याय 5:	समन मामलों में परिवादी की गैर-हाजिरी के संदर्भ में निर्मुक्ति की बाबत स्थिति ।	
अध्याय 6:	अंतर्निहित शक्तियां ।	
अध्याय 7:	आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें ।	
टिप्पण और संदर्भ		
परिशिष्ट 1:	भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समन मामलों की सूची ।	
परिशिष्ट 2:	अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अधीन समन मामलों की सूची ।	

349.54R
N1.141, 2

PARLIAMENT LIBRARY
Govt. Publications
Acc. No. PC... 88006(32)
Date........ 25/8/93

अध्याय 1

भूमिका

1.1.1. रिपोर्ट का परिप्रेक्ष्य - दो स्थितियों में विधि के वर्तमान उपबंधों के परिणामस्वरूप न्याय के प्रशासन के दौरान संभावित अन्याय को रोकने के लिए विद्यमान विधि में समुचित संशोधन करने की सिफारिश करने का विचार है ।

1.1.2: दो स्थितियां जिनमें अन्याय होता है निम्नलिखित हैं:

पहली स्थिति: यदि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वारा किसी दांडिक पुनरीक्षण को आवेदक या उसके अधिवक्ता के उस समय उपस्थित रहने में व्यतिक्रम के कारण, जब मामला सुनवाई के लिए पुकारा जाता है, खारिज कर दिया जाता है तो दांडिक पुनरीक्षण को खारिज करने वाला न्यायालय उस मामले को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित नहीं कर सकता । यदि आवेदक या उसका अधिवक्ता पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उपस्थित नहीं हो सका है तब भी संबंधित न्यायालय, इस तथ्य के होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता कि व्यतिक्रम के कारण खारिजी का आदेश पारित करने वाले न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुपस्थिति क्षमा योग्य है और न्याय की दृष्टि से ऐसा करना उचित है । इस तथ्य के संदर्भ में कि, विद्यमान विधि के अनुसार, दांडिक न्यायालय को अपने "अंतिम आदेश" का पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं है, यही परिणाम निकलता है और दांडिक पुनरीक्षण वाली खारिज करने का हस्ताक्षरित आदेश का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 द्वारा, जो अपने निर्णय या अंतिम आदेश में फेरफार करने या उसका पुनरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, अधिरोपित सीमाओं के अंतर्गत का यही अर्थ लगाया जाता है कि वह "अंतिम आदेश" है ।

~~व्यक्ति-~~
उपस्थिति में व्यतिक्रम के कारण दांडिक पुनरीक्षण के खारिज हो जाने की दशा में उसका प्रत्यावर्तन करने के लिए भी होना चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम आदेश के पुनरीक्षण पर धारा 362 के अंतर्गत लगे प्रतिबंध के कारण और संहिता की धारा 482 की परिसीमाओं के कारण (जो धारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति से संबंधित है), विद्यमान विधि के अंतर्गत न्यायालय को इस बात की अनुज्ञा नहीं है कि वह न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से भी ऐसी कार्यवाही को प्रत्यावर्तित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का आश्रय ले सके ।

1.3: कठिनाई का एक उदाहरण - वर्तमान स्थिति का, प्रथमदृष्टया, प्रभाव यह है कि वह खारिज की गई दांडिक पुनरीक्षण अर्जी के प्रत्यावर्तन को पूर्णतया वर्जित करती है और उसके परिणामस्वरूप प्राय: गंभीर कठिनाई और घोर अन्याय हो जाता है । उदाहरण के लिए, ऐसे अभियुक्त का मामला लीजिए जिसे किसी अल्पअवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं है है । यदि उच्च न्यायालय में उसके पुनरीक्षण के लिए अर्जी, हस्ताक्षर किए गए आदेश द्वारा, व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दी जाती है तो उसे या तो दंडादेश भोगना चाहिए, भले ही ऐसा दंडादेश विधि द्वारा समर्थित न हो, अथवा उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत लेकर उस न्यायालय तक पहुंचना चाहिए । इस मार्ग को अपनाने से अत्यंत व्यय होगा, अत्यंत समय लगेगा और वह साधारण नागरिक की पहुंच से वास्तव में परे है । इस लिए समन मामले में (भले ही उपस्थित होने में व्यतिक्रम पर्याप्त कारण की विद्यमानता के आधार पर क्षम्य हो) किसी गुणयुक्त मम परिवाद के खारिज किए जाने और परिणामस्वरूप अभियुक्त की दोषमुक्ति के कारण व्यथित परिवादी के प्रति घोर अन्याय हो सकता है । अत: इस समस्या पर ध्यान देने की बात में बहुत बल है ।

दूसरी स्थिति - समन मामले का विचारण करने वाला दांडिक न्याय
किसी ऐसे मामले में होने वाले अन्याय को दूर करने के नम मामले में
जहां अन्याय व्यतिक्रम के ऐसे आदेश का परिणाम हो जो न्यायालय
उस दशा में देना आवश्यक है जब परिवादी सुनवाई के लिए नियत
उपस्थित रहने में (सिवाए कुछ परिस्थितियों के जो धारा 256(1)
परंतुक के अंतर्गत आती हैं) असमर्थ रहता है । संहिता के सुसंगत उपबंध
का परिणाम यह है कि एक बार अभियुक्त [illegible] के अधीन दो
कर दिया जाता है या कोई दांडिक मामला, हस्ताक्षरित आदेश द्व
व्यतिक्रम के आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो वह प्रत्यावर्ति
किया जा सकता और उसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति को अपास्त
जा सकता भले ही उपस्थित होने में जो व्यतिक्रम हुआ है वह पर्याप्त
हो । इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से दो कारण हैं । पहला यह
खारिज किए गए ऐसे मामले को प्रत्यावर्तित करने के लिए, जिसके का
अभियुक्त की दोषमुक्ति हो जाती है, संहिता में कोई प्रत्यक्ष उप
दूसरी बात यह कि संहिता की धारा 362 विनिर्दिष्ट रूप से प्रति
और एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर निर्णय या अंतिम आदेश के
को प्रतिषिद्ध करती है । और ऐसा इस लिए है क्योंकि व्यतिक्रम
खारिजी का आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति का आदे
256 के अर्थ में अंतिम आदेश है ।

1.2: <u>उपचार के उपायों की आवश्यकता</u> : उपर्युक्त कानूनी उपबं
गंभीर कठिनाई और कुछ मामलों में व्यवहार में अन्याय होता है
संभावना रहती है । अत: भारत के विधि आयोग की यह राय है
अनुभवजन्य आवश्यकता है कि संहिता में ऐसे उपबंध अधिनियमित
जो उपस्थिति में व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए दांडिक मा
को प्रत्यावर्तित करने के लिए तथा परिणामस्वरूप ऐसे मामले में,
परिवादी की उपस्थिति में व्यतिक्रम के कारण किया गया हो त
दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए सशक्त बनाएं । यह

[illegible]

(2) [illegible] …उसकी मृत्यु हो :

* * * *

362. न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना — इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय, जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा।

* * * *

482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति — इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।"

2.2: धारा 362 से उत्पन्न स्थिति — यह उल्लेख किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362, 1898 के संहिता की धारा 369 की तत्स्थानी है। 1898 में अधिनियमित धारा 369 में यह उपबंध किया गया है कि "उच्च न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, जब उसने अपने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए हों, धारा 395 और धारा 484 में यथाउपबंधित के सिवाए अथवा किसी लिपिकीय भूल को शुद्ध करने के सिवाए,

1.4: विषय की परीक्षा करने की आवश्यकता - अत: यह प्रतीत ह
कि न्याय के प्रोन्ययन को दृष्टि में रखते हुए, जो कि प्रक्रिया की वि
भी विधि का अनिवार्य उद्देश्य है, इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार
की आवश्यकता है । अत: इस इसि रिपोर्ट के आगे आने वाले अध्यायों
इस विषय की बाबत स्थिति की और इस विषय पर न्यायिक नि
प्रकाश में सुसंगत कानूनी उपबंधों की परीक्षा करने का विचार है ।
यह भी विचार है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (1) के पर
अधीन आने वाले मामलों में, जहां परिवादी सुनवाई के समय उपस्थित
में असफल रहा हो, भले ही ऐसी सुनवाई के समय उपस्थित रहने में अ
के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हों, दांडिक मामले को खारिज कर
और अभियुक्त को दोषमुक्त करने की मजिस्ट्रेट की दुविधापूर्ण
परिस्थिति की परीक्षा की जाए (संहिता की धारा 256) तथा वि
विमर्श के प्रकाश में उचित विधायी उपचार की सिफारिश की जाए ।

अध्याय 2

कानूनी उपबंध

2.1: संहिता के उपबंध - वर्तमान प्रयोजन के लिए नीचे उद्धृत दंड प्रक्रि
संहिता की तीन धाराएं, अर्थात्, धारा 256,362 और 482, सुसंगत

"256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु- (1)
परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त
हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन
जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजि
होता है तो, मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते
अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं का
सक से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित क
न समझे:

परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा
अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जा

पुरानी संहिता की तत्स्थानी धारा 369 में आए कुछ ये शब्द, अर्थात्, " या उच्च न्यायालय की दशा में, लेटर्स पेटेंट द्वारा या ऐसे उच्च न्यायालय का गठन करने वाली अन्य लिखित द्वारा " शब्दों का वर्तमान धारा से लोप कर दिया गया है। अतः किसी उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तन या पुनर्विलोकन करना केवल वहाँ अनुज्ञेय होगा (जैसा कि अन्य न्यायालयों की दशा में है) जहाँ इस संहिता में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उसके लिए उपबंध किया गया है। साथ ही, वर्तमान संहिता की धारा "अंतिम आदेश " में परिवर्तन करने पर भी प्रतिबंध लगाती है।

2.3: शक्ति का अभाव -हम आगे चलकर संहिता की सुसंगत धाराओं के बारे में निर्णयज विधि पर विस्तार से विचार करेंगे। वर्तमान प्रयोजन के लिए यह कहना पर्याप्त है कि मोटे तौर पर, इस समय, उच्चतम न्यायालय द्वारा 1986 में दिए गए एक निर्णय के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि कोई भी न्यायालय व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए दांडिक मामले को प्रत्यावर्तित नहीं कर सकता है। यद्यपि, गोरिया के मामले में, दिया गया 1986 का निर्णय, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण खारिजी से संबंधित था किंतु उस निर्णय में [(1986) क्रि०लॉ०ज० 1074, 1076, दाहिना स्तंभ, पैरा 10] आने वाला निम्नलिखित वक्तव्य ध्यान देने योग्य है:-

> "जहाँ तक अभियुक्त का संबंध है, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद का खारिज किया जाना या उसी आधार पर अभियुक्त का निर्मोचित किया जाना या दोषमुक्त किया जाना एक अंतिम आदेश है तथा, संहिता में किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, मजिस्ट्रेट किसी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता।"

उसमें कोई परिवर्तन या उसका पुनर्विलोकन [illegible]

[illegible] उच्च न्यायालयों [illegible]

[illegible] निर्णय किया गया कि [illegible] न्यायालयों

निर्णयों [illegible], यदि धारा 369 के अधीन या धारा 430 के अनुसार, कोई परिवर्तन करने या उसका पुनर्विलोकन [illegible] अंतिमित [illegible] नहीं है। तदनुसार 1921 में यह प्रस्ताव "उच्च न्यायालय से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाना चा[illegible] यह स्पष्ट हो गया कि धारा 369 उच्च न्यायालयों को [illegible] नहीं करती क्योंकि इस बात पर ध्यान गया कि संहिता की अन्य धाराओं (धारा 395 और धारा 404 या उच्च न्याय[illegible] लैटर्स पेटेंट के खंड 26 के अतिरिक्त) उच्च न्यायालयों को अ[illegible] का पुनरीक्षण करने के लिए सशक्त करती हैं। अतः इस धा[illegible] प्रारूप पुनः तैयार किया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 369, जैसी कि [illegible] लगाई गई, निम्नलिखित प्रकार से है:-

> "संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य वि[illegible] या, किसी उच्च न्यायालय की दशा में, लैटर्स पे[illegible] या ऐसे उच्च न्यायालय का गठन करने वाली अन्य [illegible] द्वारा, यथाउपबंधित के सिवाय, कोई भी न्याया[illegible] जब उसने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए हों, उस[illegible] कोई परिवर्तन या उसका पुनर्विलोकन किसी लिपि[illegible] को शुद्ध करने के सिवाय नहीं करेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) [illegible]
362 में निम्नलिखित उपबंध किया गया है :-

> "362. न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना [illegible]
> या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधि[illegible] सिवाय, कोई न्यायालय, जब उसने किसी मामले को निप[illegible] अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए [illegible] लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय [illegible] उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन [illegible]

न्यायालय यह निर्णय दे कि त्रुटिवश के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जियों को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तथा अन्य न्यायालय यह निर्णय दें कि उन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता । यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय में ही शीघ्रतर और कम खर्च पर उपचार प्राप्त हो तथा उच्चतम न्यायालय तक जाने के लिए बाध्य न होना पड़े क्योंकि ऐसा कदम अधिक समय खाने वाला और व्ययपूर्ण होता है और हर एक के वश का नहीं है ।

2.4: विपरीत मत और उनका सार- इस प्रश्न पर कि न्यायालय व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई दाण्डिक पुनरीक्षण अर्जी को प्रत्यावर्तित करने का आदेश देने की शक्ति है या नहीं, उच्च न्यायालयों के मत परस्पर विपरीत हैं। यह द्वन्द्व मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के दो महत्वपूर्ण उपबंधों के निर्वचन के कारण है जिनमें से एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक है। सकारात्मक उपबंध संहिता की धारा 482 में सम्मिलित है जो कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता प्रदान करता है जिसका प्रयोग न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। नकारात्मक उपबंध संहिता की धारा 362 में है जो, (परिणामस्वरूप) इस द्वन्द्व के संबंध में कि पुनरीक्षण अर्जी को गुणावगुण से भिन्न आधार पर खारिज करने का आदेश "निर्णय" है या नहीं अथवा उक्त धारा के अर्थ में "अंतिम आदेश" है या नहीं, किसी निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात् उसके पुनर्विलोकन या परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करता है।

2.5: विवाद का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता - इस विवाद का तत्काल समाधान करना आवश्यक है क्योंकि एक ही केंद्रीय अधिनियम का उच्च न्यायालयों के दो वर्गों द्वारा असंगत रीति से लागू किया जाना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, गोरिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया एक हाल ही का निर्णय, जो दाण्डिक परिवाद की खारिजी के संबंध में है, जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि ऐसी खारिजी और उसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की दोषमुक्ति "निर्णय" या "अंतिम आदेश" है और अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किए जाने पर भी (जो शक्ति उच्च न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों को प्राप्त नहीं है) उसे अपास्त नहीं किया जा सकता, इस स्थिति की उलझन को और बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त यह इस आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बना देता है कि विवाद को अत्यंत शीघ्र निपटाया जाना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि

अध्याय 3

दांडिक मामलों में व्यतिक्रम के कारण खारिजी किए जाने के बारे में न्यायिक विनिश्चय

3.1. अध्याय का क्षेत्र – इस अध्याय में हम व्यतिक्रम के कारण किसी दांडिक मामले के खारिज किए जाने के विषय पर महत्वपूर्ण न्यायिक उद्घोषणाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।

3.2. उच्च न्यायालयों के इस आशय के विनिश्चय कि व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए दांडिक मामलों को पुनः प्रत्यावर्तित करने की शक्ति विद्यमान है – इलाहाबाद के एक मामले में उच्च न्यायालय ने व्यतिक्रम के कारण दांडिक पुनरीक्षण अर्जी को इस भ्रम में खारिज कर दिया था कि अर्जीदार का कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र या उसके वकील की बीमारी की कोई स्लिप दाखिल नहीं की गई थी । एक-स्पष्ट वास्तव में यह दोनों ही दस्तावेज अभिलेख में थे । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय व्यतिक्रम के लिए खारिज किए गए मामले को पुनः प्रत्यावर्तित कर सकता था ।

3.3. इलाहाबाद का एक अन्य मामला – इलाहाबाद का एक और मामला[2] उद्धृत करने योग्य है । अर्जीदार भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन, एक प्राइवेट परिवाद के आधार पर, अभियोजित किए गए थे । इस परिवाद को विचार करने वाले मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया और अर्जीदार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 203 के अधीन दोषमुक्त कर दिए गए । परिवादी ने न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण अर्जी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध दाखिल की । पुनरीक्षण अर्जी परिवादकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दी गई । अर्जीदार ने खारिजी के इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण अर्जी फाइल की । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि व्यतिक्रम के कारण खारिज किया गया दांडिक पुनरीक्षण प्रत्यावर्तित किया जा सकता था औरसेशन न्यायाधीश

सकता किंतु न ऐसे आदेश की पुनः सुनवाई की जा सकती थी जिसे इस आधार पर खारिज न किया गया हो कि सुनवाई के समय कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मामले की सुनवाई नहीं की गई थी और गुणावगुण के आधार पर उसका अवधारण नहीं किया गया था। कोई निर्णय नहीं दिया गया। अतः निर्णय के पुनर्विलोकन का प्रश्न ही नहीं था।

3.6. गुवाहाटी का एक मामला : व्यतिक्रम के कारण पुनरीक्षण की खारिजी "अंतिम आदेश" नहीं है -- गुवाहाटी के एक मामले में,[5] एक दांडिक पुनरीक्षण अर्जी को, उपस्थित होने में व्यतिक्रम के कारण, तत्काल खारिज कर दिया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उपस्थित होने में व्यतिक्रम के कारण किसी दांडिक पुनरीक्षण अर्जी की खारिजी का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 के अर्थ में "अंतिम आदेश" नहीं माना जा सकता क्योंकि उस मामले का निपटारा नहीं हुआ। अतः, जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 में वर्णित एक या अधिक अपेक्षाएं विद्यमान हों और जहां न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से अन्याय झलकता हो वहां ऐसे आदेश को अपास्त किया जा सकता है और अर्जी को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तथा उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुणावगुण के आधार पर उसकी सुनवाई कर सकता है।

3.7. मद्रास का एक मामला : उच्च न्यायालय द्वारा अपील की खारिजी : कोई निर्णय नहीं -- मद्रास के एक मामले में,[6] अपीलार्थी ने, जिसे अवमानना के लिए विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा दंडादिष्ट किया गया था, दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की। अपील को अवकाश न्यायाधीश ने कालातीत मानकर खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने, संभवतया इस तथ्य से अनजान रहते हुए, न्यायालय के खुलने पर वकील के माध्यम से एक और अपील दाखिल की। आपत्ति किए जाने पर, द्वितीय अपील के बारे में यह निर्णय दिया

द्वारा उसकी पुनः सुनवाई की जा सकती थी । खारिजी निर्णय
इसके अतिरिक्त, संहिता में, व्यतिक्रम के कारण पुनरीक्षण की खारि
संकल्पना नहीं की गई है ।

3.4. बंबई का मामला – बंबई के एक मामले में,[3] अर्जीदार को
दंड संहिता की धारा 341, धारा 397 और धारा 506 के अधी
कार्यवाई परिवादी द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर, अभिय
किया गया था । मजिस्ट्रेट ने अर्जीदार को आदेशिका जारी की
मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशिका जारी करने के आदेश पर अर्जीदा
दांडिक रिट अर्जी द्वारा आपत्ति की । अर्जी की सुनवाई 2 फरव
के लिए निश्चित की गई । उस दिन अर्जीदार की ओर से स्थगन
प्रार्थना की गई । मामला 13 फरवरी, 1984 के लिए स्थगित कि
तथापि, न्यायालय के सरिश्तेदार ने भूल से रोजनामा में सुनवाई
तारीख 8 फरवरी, 1984 दर्ज कर दी । जब सुनवाई के लिए रिट
8 फरवरी, 1984 को ली गई तो उसे व्यतिक्रम के कारण खारिज
क्योंकि अर्जीदार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था । मामले
प्रत्यावर्तित करने के लिए की गई अर्जी पर बंबई उच्च न्यायालय ने
दिया कि अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिनका
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 में किया गया था, उ
न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कर सकता था
निर्णय उस पक्षकार को, जो सुनवाई का हकदार था, सुनवाई का अ
बिना दिया गया था और यदि पक्षकार की ओर से कोई भूल नहीं
ऐसे पक्षकार को न्यायालय की भूल के कारण दंड नहीं मिलना चाहि

3.5. कलकत्ता का एक मामला : पुनरीक्षण अर्जी की खारिजी – क
के एक मामले में, दंडादेश के विरुद्ध एक दांडिक पुनरीक्षण को उच्च न
ने व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया था । उसके प्रत्यावर्तन के लि
गए आवेदन पर खंड पीठ ने यह निर्णय दिया कि, भारत में, यदि
न्यायालय [illegible] के आधार पर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं

तथापि, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि, जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय का संबंध है उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 369 में "प्रयुक्त "निर्णय" की शाब्दिक अर्थ पर जोर दिया था और इसी लिए इस निर्णय की उपयोगिता काफी हद तक समाप्त हो गई है क्योंकि वर्तमान धारा में "या अंतिम आदेश" अभिव्यक्ति का भी प्रयोग किया गया है ।

3.9. पुनरीक्षण को खारिज करने की बाबत राजस्थान का मामला – राजस्थान के एक मामले[8] में, एक दाण्डिक पुनरीक्षण अर्जी, सुनवाई किए जाने के लिए, 27 जनवरी, 1951 के लिए नियत की गई थी किंतु उस तारीख को न तो अर्जीदार और न उसका अधिवक्ता उपस्थित था और परिणामस्वरूप अर्जी व्यतिक्रम के आधार पर खारिज कर दी गई । राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"जहाँ तक कि प्रत्यावर्तन के प्रश्न का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता में, दाण्डिक न्यायालय को, किसी दाण्डिक मामले को, जिसका अंतिम रूप से विनिश्चय हो चुका हो, प्रत्यावर्तित करने के लिए सशक्त बनाने वाला कोई उपबंध नहीं है । प्रत्यावर्तन की शक्ति विनिर्दिष्ट रूप से दी जानी चाहिए जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में किया गया है और तभी न्यायालय उसकी परीक्षा कर सकती है" ।

"तथापि, दाण्डिक कार्यवाई करने वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दाण्डिक मामले का विनिश्चय गुणागुण के आधार पर करे, चाहे पक्षकार या उसका अधिवक्ता उपस्थित होता है या नहीं, और यद्यपि दाण्डिक मामले का प्रत्यावर्तन नहीं हो सकता तथापि उच्च न्यायालय को धारा 561क के अधीन ऐसा आदेश करने की शक्ति है जो न्याय के हित

कि तक चलाए जाने योग्य नहीं थी। विचारण न्यायालय ने यो
की भी परीक्षा की गई कि व्यतिक्रम के कारण खारिज कि
का प्रत्यावर्तन करने का आदेश देने की उच्च न्यायालय को
नहीं और उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि
दांडिक अपील या दांडिक पुनरीक्षण अर्जी सुनवाई के बिना
जाए वहां वास्तव में कोई "निर्णय" नहीं होता और न्याया
संहिता, जिसने मामले की उपस्थिति में व्यतिक्रम होने के
है, उस मामले की पुन: सुनवाई कर सकती है ।

यह मामला 1898 की संहिता के अधीन विनिश्चित किया
वर्तमान संहिता में " अंतिम आदेश " में परिवर्तन करने को
362 द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है ।

3.8. पटना का एक मामला - पटना के एक मामले में,
ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण अर्जी
थी किन्तु उसके साथ विचारण न्यायालय के निर्णय की प्रति
नहीं की थी । न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय न
प्रतिलिपि फाइल किए जाने के लिए एक सप्ताह का समय दि
निर्देश और दिया गया कि यदि नियत समय के भीतर प्रति
नहीं की गई तो पुनरीक्षण अर्जी खारिज की गई समझी जाएगी
उच्च न्यायालय के समक्ष उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन
पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुनर्विलोकन के नि
(जैसा कि 1898 की संहिता की धारा 369 में अंतर्विष्ट है
कारण खारिज किए गए पुनरीक्षण के प्रत्यावर्तन को प्रतिषिद्ध
क्योंकि खारिजी का ऐसा आदेश "निर्णय " नहीं है। उच्च न्या
अंतर्निहित शक्ति का भी ऐसे प्रत्यावर्तन के समर्थन में आश्रय लि

दांडिक मामलों में शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्ति रखते हैं, व्यतिक्रम के कारण खारिज पुनरीक्षण अर्जी का प्रत्यावर्तन करने का आदेश दे सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दांडिक पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय स्वविवेकानुसार कार्य करता है। व्यतिक्रम के कारण पुनरीक्षण अर्जी को खारिज करने का उसका आदेश उसकी अधिकारिता के भीतर है, क्योंकि किसी भी अर्जीदार को सुनवाई का अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय का निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है जिसे निर्णय द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है विचार का ... करना ठीक समझता है।

3.10. व्यतिक्रम के कारण खारिजी: कुछ उच्च न्यायालयों के अनुसार, दांडिक मामलों में प्रत्यावर्तन की शक्ति नहीं है — अब हम उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जिनमें यह निर्णय किया गया है कि ऐसी कोई शक्ति विद्यमान नहीं है। आंध्र[9] का एक मामला स्थावर संपत्ति के कब्जा विवाद से संबंधित था (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145)। मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित पक्षकार ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी फाइल की। पुनरीक्षण अर्जी की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर दोनों पक्षकार गैर-हाजिर थे और यह पुनरीक्षण व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षण अर्जी को प्रत्यावर्तित करने के लिए किए गए आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। इस आदेश से व्यथित विरोधी पक्षकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी की। उच्च न्यायालय में अर्जी ग्रहण करने वाले न्यायाधीश ने मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया। किंतु उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दिया कि वह इस प्रश्न का विनिश्चय करे कि व्यतिक्रम के

माना जाता है ।"

"इस प्रकार, जहाँ कोई दांडिक पुनरीक्षण, अभि के कारण खारिज कर दी जाती है और उसे गुणागुण पर विचार नहीं किया जाता तथा अधि की ओर से कोई व्यतिक्रम नहीं है और जब तक न्याया में प्रतिपादन प्रस्तुत रखा था, जिसमें कि मामला सुनवाई के लि नियत था, तो उच्च न्यायालय को धारा 561क के अधी अपनी शक्तियों का प्रयोग, न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चि करने के लिए, करना चाहिए जिससे कि पुनरीक्षण को आधारों पर विचार करके विनिश्चित किया जा सके जो उठाए गए हों ।"

यह भी निवेदन किया गया कि विचारण न्यायालय के विचार नि की प्रतिलिपि फाइल करने में अधिवक्ता की असफलता के कारण अर्जी बिना आगे निदेश-निर्देश के खारिज की जानी चाहिए थी । चूंकि अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल नहीं की, अतः उनकी पुनरीक्षण अर्जी नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात् व्यतिक्रम के कारण खारिज गई । प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन किए जाने पर, पटना उच्च न ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 3 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 के समान है, दांडिक पुनरीक्षण को, जो कि व्यतिक्रम के कारण खारिज कर गया है, प्रत्यावर्तित करने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि व्यतिक्रम के पर खारिजी का ऐसा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धार के अधीन "निर्णय" नहीं है । न्यायालय ने यह भी निर्णय दि कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561क में अंतर्निहित शक्ति

करता है कि उस धारा के अधीन कोई आदेश अपराधिता अन्य व्यक्ति के प्रतिकूल तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से अपने बचाव के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता। अवसर का दिया जाना अवसर का लाभ से भिन्न बात है। पक्षकार को सुनवाई का अवसर मिलता यदि उसे मामले की और नियत तारीख की सूचना दी जाती है। सुनवाई के समय उसका हाजिर न होना यह प्रकट करता है कि वह अवसर का लाभ नहीं ले रहा। दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा न्यायालय को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वह निष्पादित की गई पुनरीक्षण अर्जी का प्रत्यावर्तन भी कर सके। -------- मामले को फाइल पर प्रत्यावर्तित करना, और प्रार्थना के अनुसार पूर्ण सुनवाई करना संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए नहीं है। न ही वह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित ही करता है क्योंकि वहां न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि वहां निष्पादन, अभिलेख को देखने और उन अधिवक्ताओं को सुनवाई करने के पश्चात, किया गया जो कि न्यायालय में हाजिर थे; यह बात विधि के अनुसार थी। धारा 482 में आने वाले ये शब्द "अथवा न्याय के उद्देश्य को अन्यथा सुनिश्चित करने के लिए" वर्तमान प्रकार के मामले में लागू नहीं होते हैं। इन शब्दों का अर्थ संगति -------------- प्रत्यावर्तन के रूप में लगाया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी के अधिवक्ताओं को सुने बिना पुनरीक्षण अर्जी का निष्पादन करने की सुनवाई का प्रयोजन संहिता के अधीन आदेश को प्रभावी करने के समतुल्य नहीं है और न न्यायालय की

कारण खारिज किया गया मामला प्रत्यावर्तित किया जा सक्ता
या नहीं (क्योंकि यह प्रश्न ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाया गय
था, किंतु उसका विनिश्चय नहीं किया गया था) । ऐसा हुआ
इसी दौरान, ज़िला मजिस्ट्रेट के पद पर एक दूसरे अधिकारी आ
और वह ज़िला मजिस्ट्रेट जिसने उच्च न्यायालय के निदेशानुसार
की सुनवाई की थी, प्रत्यावर्तन की अर्जी को खारिज कर दिया
भी केवल इस तथ्य के आधार पर कि संहिता में प्रत्यावर्तन के लि
उपबंध नहीं था । इस बार, खारिजी से व्यथित पक्षकार ने उच्च
के समक्ष पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना की ।आंध्र प्रदेश उच्च न्याय
निर्णय दिया कि व्यतिक्रम के कारण किसी दांडिक पुनरीक्षण
की खारिजी के आदेश के विरुद्ध प्रत्यावर्तन की अर्जी नहीं लाई
सकती । उसने मद्रास के वी0 रंगाराव - 23 एम. एल. जे. 371 के
अनुसरण किया जिसमें यह अभिकथित था कि दांडिक पुनरीक्षण
अर्जीदार की सुनवाई किए बिना किए गए आदेश और सुनवाई क
किए गए आदेश के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता था ।

3.11 आंध्र का एक और मामला तथा ~~हिमाचल~~ हिमाचल का मा
आंध्र प्रदेश के एक और मामले[10] में यह निर्णय दिया गया है कि
एक बार अभिलेख की मांग किए जाने के पश्चात्, व्यतिक्रम के का
पुनरीक्षण को खारिज करने की न्यायालय की अधिकारिता नहीं
यही विचार हिमाचल प्रदेश[11] उच्च न्यायालय ने प्रकट किया है

3.12 केरल का मामला: पुनरीक्षण की खारिजी - केरल[12] उ
न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया (जो कि 1973 की
संहिता के संदर्भ में है):-

> "धारा 401 का खंड (2), जो कि उच्च न्यायालय
> की पुनरीक्षण की शक्तियों से संबंधित है, यह उप

3.14. मद्रास का एक और मामला : पुनरीक्षण की खारिजी - मद्रास के एक और मामले[14] में, जो कि 1923 का है, एक दांडिक पुनरीक्षण अर्जी को व्यतिक्रम के कारण उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अर्जीदार ने उसी अनुतोष के लिए एक दूसरी पुनरीक्षण अर्जी फाइल की। निम्नलिखित निर्णय दिया गया:-

(क) न्यायालय पहले ही निष्पादित मामले की बाबत दूसरी अर्जी नहीं ले सकती थी और न लेती,;

(ख) व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जी को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता।

3.12. मद्रास का तीसरा मामला : पुनरीक्षण की खारिजी - मद्रास के 1949 के एक और मामले में,[15] अर्जीदार द्वारा फाइल किए गए परिवाद की दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 203 के अधीन खारिज कर दिया गया था। अर्जीदार ने सैशन न्यायाधीश के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण की अर्जी की जो कि व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दी गई। प्रत्यावर्तन की अर्जी भी सैशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी और यह निर्णय दिया कि ऐसी अर्जी नहीं की जा सकती थी। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आगे और पुनरीक्षण फाइल किए जाने पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सैशन न्यायाधीश के समक्ष व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई पुनरीक्षण अर्जी प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती।

5.16 1962 का उच्चतम न्यायालय का मामला - उच्चतम न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर नहीं मिला कि अपील न्यायालय को खारिज की गई अपील का पुनरीक्षण ~~दंड प्रक्रिया संहिता~~ या प्रत्यावर्तन करने की शक्ति है या नहीं - संकट सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[16]। मामले के तथ्य ये थे कि अर्जीदारों को मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 324 और 452 के अधीन

प्रक्रिया का दुरुपयोग किए जाने के निवारण के समतुल्य है। पु
और, किसी दाण्डिक पुनरीक्षण अर्जी को, जिसका निष्पादन
किया जा चुका है, प्रत्यावर्तित करना और पुन: सुनना दंड
प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के आज्ञापक उपबंध के विरुद्ध है
अर्थात्, सिवाए उस दशा में किसी लिपिकीय मूल या गणितीय
भूल को सुधारने की बात है, किसी निर्णय या आदेश को हस्त
किए जाने के पश्चात्, तब तक परिवर्तित या पुनरीक्षित नहीं
किया जा सकता जब तक कि अन्यथा उपबंध न हो, और ऐसी
किसी बात के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा
सकता जिसके लिए संहिता में विनिर्दिष्ट रूप से निषेध है।
संहिताकी धारा 482 पक्षकार को किसी ऐसे मामले में दूसरा
अवसर प्रदान करने के लिए अभिप्रेत नहीं है जिसका उसके विरु
पहले ही विनिश्चय किया जा चुका है।"

केरल उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि उच्चतम न्यायाल
के 1962 और 1971 के निर्णयों में भी यह विषय सम्मिलित है।

3.13. मद्रास का मामला: पुनरीक्षण की खारिजी - मद्रास[13] उ
न्यायालय ने 1912 में यह निर्णय दिया कि -

(क) उसे उसकी दाण्डिक पुनरीक्षण अधिकारिता के
अंतर्गत किसी आदेश का पुनरीक्षण करने की
शक्ति नहीं है।

(ख) ऐसा उस दशा में भी था जहां पुनरीक्षण अर्जी को
व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया हो, और

(ग) अर्जीदार की सुनवाई किए बिना पारित आदेश और
अर्जीदार की सुनवाई करने के पश्चात् पारित किए गए
आदेश के बीच कोईअंतर नहीं किया जा सकता था।

क्योंकि संहिता की धारा 424 के साथ, धारा 369 विनिर्दिष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अपने आदेश में परिवर्तन करने या उसका पुनरीक्षण करने का निषेध करती है। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उस कार्य को करने के लिए नहीं किया जा सकता जिसके करने से न्यायालय, संहिता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिषिद्ध कर दी है।"

यद्यपि, उपरोक्त निर्णय में, यह निर्धारित किया गया था कि अपील न्यायालय को अपील का विनिश्चय गुणावगुण के आधार पर करना चाहिए चाहे पक्षकार हों या नहीं, यह निर्णय वर्तमान प्रयोजन के लिए, सुसंगत है जहां तक उसमें अपील न्यायालय की अंतर्निहितशक्ति की बाबत नकारात्मक घोषणा की गई है और विनिर्दिष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि एक बार विनिश्चित की गई अपील की पुनः सुनवाई अंतर्निहित शक्ति के अधीन नहीं की जा सकती है।

3.17 1977 का उच्चतम न्यायालय का मामला -

विन्देश्वरी प्रसाद सिंह के मामले[17] में (जिसका विनिश्चय 1977 में किया गया था), उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"----- 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता में (जो कि इस मामले को लागू होती है) किसी मजिस्ट्रेट को उसके द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण करने या पुनः विचार करने का उपबंध कोई उपबंध नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्निहित शक्ति का उपबंध है, अर्थात्, धारा 561क, जो, तथापि, यह शक्ति उच्च न्यायालय को ही प्रदान करती है।

दोषसिद्ध ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया । दोष
के विरुद्ध उनकी अपील, जो कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष की
व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दी गई । अपील को सेशन न्
ने अर्जीदारों द्वारा की गई अर्जी पर, आगे सुनवाई के लिए त
प्रत्यावर्तित कर दिया । उस सेशन न्यायाधीश के, जिसने अपी
की थी, उत्तरवर्ती की यह राय थी कि अपील न्यायालय को
पुनरीक्षण या प्रत्यावर्तन करने की शक्ति नहीं थी । तदनुस
अपील को खारिज कर दिया और यह निर्णय दिया कि अपी
प्रत्यावर्तित करने की बाबत उसके पूर्ववर्ती न्यायाधीश का आ
विरुद्ध और अधिकारिता रहित था । इस आदेश के विरुद्ध
में लाई गई पुनरीक्षण अर्जी को खारिज कर ~~कर~~
उच्चतम न्यायालय ने अपील में यह निर्णय दिया कि अपील
निष्पादित की जा चुकी अपील का पुनरीक्षण या प्रत्यवर्तन
शक्ति नहीं है । सेशन न्यायाधीश अपील में पारित प्रथम आ
अपास्त नहीं कर सकता जिसके द्वारा अपील इस लिए खारिज
गई थी कि न तो अपीलार्थी, न उनका अधिवक्ता हाजिर थे
इस कारण अपील की पुन: सुनवाई का आदेश नहीं दिया जा

जहां तक कि किसी मामले को प्रत्यावर्तित करने
न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रश्न है, उच्चतम न्याया
संकट सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, जिसका उल्लेख ऊपर
गया है, निम्नलिखित निर्णय दिया है:--

> "----- यदि यह मान भी लिया जाए कि श्री
> पाल सिंह, सेशन न्यायाधीश के रूप में, अंतर्नि
> शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, हमारी यह
> राय है कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
> अपील की पुन: सुनवाई का आदेश नहीं दे सकता

में, उच्च न्यायालय ने (पुनरीक्षण पर) दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को बढ़ा दिया था । उस निर्णय के पुनरीक्षण के लिए अर्जी को उच्च न्यायालय ने ग्रहण किया । राज्य सरकार द्वारा अपील किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि -

(क) उच्च न्यायालय अपील या पुनरीक्षण में पारित निर्णय का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार के सिवाए नहीं कर सकता ।

(ख) न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति (1898 की संहिता की धारा 561क) का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता जिसके लिए संहिता में विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिषेध किया गया है ।

3.19 उच्चतम न्यायालय के 1986 के निर्णय के संदर्भ में उत्पन्न स्थिति- 1986 में विनिश्चित एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस व्यापक प्रश्न का, अर्थात्, क्या अधीनस्थ दांडिक न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के बाहर कोई अंतर्निहित शक्ति है, यह निर्णय दिया कि ऐसी कोई शक्ति विद्यमान नहीं है ।

तथ्यों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया जा सकता है । खान अधिनियम, 1952 और उसके अधिनियम के अधीन बनाए गए सुसंगत विनियमों के साथ पठित, धारा 67 और 72ग(1)(क) के अधीन एक परिवाद फाइल किया गया । अपराधी की हाजिरी के लिए नियत तारीख पर न तो परिवादी और न अभियुक्त ही हाजिर हुआ और विचारण न्यायालय ने व्यतिक्रम के आधार पर मामले को खारिज कर दिया । परिवादी ने मामले के प्रत्यावर्तन के लिए

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के समान, अधीनस्थ दाण्डिक न्यायालयों को कोई अंतर्निहित शक्तियां नहीं हैं । अत: इन परिस्थितियों में, विद्वान मजिस्ट्रेट को परिवाद को खारिज करने के आदेश की पुन: सुनवाई करने की कोई भी अधिकारिता नहीं थी । प्रत्यर्थी के पास एक ही उपचार था कि वह पुनरीक्षण के लिए सेशन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष आता । वास्तव में 23-11-1968 का आदेश पारित करने के पश्चात् सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अधिकारिता प्रयोग समाप्त हो गया और उसे किसी भी आधार उस आदेश का पुनरीक्षण करने या पुन: सुनवाई की शक्ति नहीं थी । अत:, इन परिस्थितियों में ऐसा आदेश, यदि कोई है, जो कि परिवाद को करने के आदेश की पुन: सुनवाई के लिए है, पूर्णत: विधिहीन है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की पुन के लिए सभी आगे की कार्यवाहियां अवरुद्ध हो जा जिसके अंतर्गत तारीख 3-5-72 का आदेशभी है कि द्वारा अपराधी को समन किया गया है और उसे अवैध समझा जाना चाहिए और उसका कोई विधि नहीं होना चाहिए । उच्च न्यायालय ने इस विष इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया जो कि आप में इन कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए था ।

निर्णय

3.18 1979 का उच्चतम न्यायालय का ~~मकमला~~

न्यायालय का सब से महत्वपूर्ण निर्णय 1979 का है । इस

मजिस्ट्रेट को खारिज किए गए परिवाद को प्रत्यावर्तित करने की अर्जी पर विचार करने से निवारित करता है अपितु उसका कार्य यह पता लगाना है कि क्या संहिता में कोई ऐसा उपबंध है या नहीं जो मजिस्ट्रेट को ऐसी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाता है जो उसे अन्यथा नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में इस विनिश्चय का आश्रय लेते हुए मजिस्ट्रेट को निदेश दिया कि वह परिवादकर्ता की खारिजी के आदेश को वापिस ले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 367 से संबंधित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्णय की अंतर्वस्तु क्या होनी चाहिए। हमारे विचार से समस्त विचार-विमर्श अनावश्यक है। जहां तक कि अभियुक्त का संबंध है, परिवादी की गैरहाजिरी के कारण परिवाद का खारिज किया जाना या उसी आधार पर अभियुक्त की दोषमुक्ति या निर्मुक्ति एक अंतिम आदेश है और संहिता में किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में मजिस्ट्रेट अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता।"

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में (पैरा 9 और 10) निम्नलिखित संप्रेक्षण किए हैं:-

"9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 मजिस्ट्रेट को तब अभियुक्त को निर्मुक्त करने के लिए समर्थ बनाती है जब परिवादी गैरहाजिर रहता है और जब उक्त धारा में अधिकथित शर्तें पूरी होती हों। दंड प्रक्रिया संहिता की

मजिस्ट्रेट को आवेदन किया और प्रत्यावर्तन का आदेश दे दि
तथापि, अभियुक्त ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया और
आदेश को अधिकारातिक्रांतता के आधार पर प्रश्नगत किया
मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के आवेदन को रद्द कर दिया और निर्ण
कि उसे अपने पूर्व आदेश का पुनरीक्षण करने और पुनः सुन
की अंतर्निहित शक्ति थी । अभियुक्त ने तब सेशन न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण का आवेदन किंतु दोनों
ही अभियुक्त के आवेदन को रद्द कर दिया । तत्पश्चात्, अभि
ने एक और आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जिसमें उसने उच्च
के बिन्देश्वरी प्रसाद बनाम काली सिंह[20] में दिए गए निर्ण
सहारा लिया । उस निर्णय में यह निर्धारित किया गया था
दांडिक न्यायालय को ऐसी कोई अंतर्निहित अधिकारिता नहीं
जिसके लिए संहिता में उपबंध नहीं किया गया था । अभियुक्त
आवेदन को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के विरुद्ध
को बंद कर दिया । इस बार, मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित
(परिवादकर्ता) ने सेशन न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण आ
फाइल की जिसे स्वीकार किया गया और कार्यवाहियों को
करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त कर दिया गया । मजि
के आदेश से व्यथित परिवादी ने सेशन न्यायालय के समक्ष एक
अर्जी फाइल की । अभियुक्त ने भारत के संविधान के अनुच्छेद
और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अर्जी दी ।
अर्जी उच्च न्यायालय द्वारा संदोष में खारिज कर दी गई ।
ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की । उच्चतम न्यनयालय
अपील को स्वीकार करते हुए यह संप्रेक्षण किया:-

> "न्यायालय को यह नहीं देखना है कि दंड प्रक्रिया
> संहिता में ऐसा कोई उपबंध है या नहीं जो

के आधार पर किया जाना चाहिए चाहे
पदाकार या उसका अधिवक्ता हाजिर हो
या नहीं ।

(2) एक बार खारिज की गई अपील को उच्चतम न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत पुनः सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता । (उच्चतम न्यायालय का 1962 का निर्णय) ।

(3) जहाँ उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है अथवा पुनरीक्षण अर्जी को हस्ताक्षरित आदेश द्वारा खारिज कर दिया है वहाँ, उसका पुनरीक्षण नहीं कर सकता । (उच्चतम न्यायालय का 1979 का निर्णय) ।

(4) उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता (उच्चतम न्यायालय का 1979 का निर्णय) ।

(5) अधीनस्थ दांडिक न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियाँ नहीं हैं (उच्चतम न्यायालय का 1977 का निर्णय) ।

(6) स्पष्ट रूप से, व्यतिक्रम के कारण दांडिक न्यायालय को खारिज करने की बाबत स्थिति भी इसी प्रकार है यदि इस निमित्त हस्ताक्षरित आदेश है । (उच्चतम न्यायालय का 1979 का निर्णय)।

(6) परिवाद को खारिज करने का मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षरित आदेश या परिवादी के व्यतिक्रम के कारण अभियुक्त को निर्मुक्त करने का आदेश अंतिम आदेश है (उच्चतम न्यायालय का 1986 का निर्णय)।

धारा 256(1) मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को निर्मुक्त करने के लिए समर्थ बनाती है यदि परिवादी हाजिर नहीं होता है। इस प्रकार दांडिक न्यायालय द्वारा परिवादी की गैरहाजिरी के कारण अभियुक्त को निर्मुक्त करने का आदेश एक उचित आदेश है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट खारिजी के अपने पूर्व आदेश को वापिस लेकर परिवाद को पुन: फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकता है यदि ऐसा आदेश परिवादी की गैरहाजिरी के कारण है और परिवादी द्वारा उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए किए गए आवेदन पर आगे कार्यवाही को जारी रखा जा सकता है। विधि में द्वितीय परिवाद की अनुज्ञा है यदि वह इस न्यायालय द्वारा प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार, 1962 अनु0 (2) एस सी पी 297: (ए आई आर 1962 एस सी 876) में अधिरोपित सीमाओं के भीतर किया जाता है। द्वितीय परिवाद का फाइल किया जाना और खारिजी के पूर्व आदेश को वापिस लेने के पश्चात् खारिज किए गए परिवाद को प्रत्यावर्तित करने की बराबर नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो दांडिक न्यायालय को ऐसी किसी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाता है।

3.20. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय का परिणाम - न्यायालय के विनिश्चयों के उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि पारिणामिक स्थिति निम्नलिखित प्रकार है:-

(1) अपील को व्यतिक्रम के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। उसका निष्पादन गुणाव...

ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन भरणपोषण बानूर (पटियाला जिला) की कमला देवी और उसकी दो अवयस्क संतानों के पक्ष में उसके पति महमा सिंह के विरुद्ध मंजूर किया था । भरणपोषण की रकम का भुगतान करने में असफलता के कारण पत्नी ने एक निष्पादन अर्जी फाइल की जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दी गई क्योंकि न तो वह और न उसका अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हो सका । उसके आवेदन पर निष्पादन अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रत्यावर्तित कर दिया । पति द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश पटियाला के समक्ष फाइल किए गए पुनरीक्षण में यह कानूनी प्रश्न उठाया कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 के प्रतिबंध के कारण निष्पादन अर्जी को प्रत्यावर्तित नहीं कर सकता था क्योंकि यह धारा निर्णय या अंतिम आदेश में परिवर्तन करने का प्रतिषेध करती है । पति द्वारा दी गई इस युक्ति को अपर सेशन न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया । पत्नी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की अर्जी दी । उक्त उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि निर्दिष्ट की गई अर्जी को प्रत्यावर्तित किया जा सकता था । उच्च न्यायालय ने सावित्री बनाम गोविंद सिंह रावत[2] में तथा प्रेमा जैन बनाम सुधीर कुमार जैन[3] और सुरहिल कामरा बनाम नीता[4] में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का आश्रय लेते हुए निम्नलिखित आशय का निर्णय दिया:

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है जो पत्नियों, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए मंजूरी किए गए आवेदन से संबंधित हो और अर्जीदार की गैरहाजिरी के कारण ऐसी अर्जी को खारिज करने की बाबत हो ।

(7) व्यतिक्रम के कारण पारित ऐसा आदे
शक्ति के अधीन मामले को प्रत्यावर्तित
परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्यों
की संहिता की धारा 362 में निर्णय
अंतिम आदेश में परिवर्तन करने का वि
से प्रतिषेध किया गया है (उच्चतम
का 1986 का निर्णय) ।

(8) व्यतिक्रम के कारण खारिजी का ऐसा
अपास्त किया जा सकता है। किंतु केवल
अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा
(उच्चतम न्यायालय का 1986 का नि

अध्याय 4

भरणपोषण के मामलों में व्यतिक्रम के कारण खारिजी के संबंध में स्थिति और उनका प्रत्यावर्तन ।

4.1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 - इस प्रक्र
प्रक्रिया संहिता, 1973 की (संहिता) की धारा 125 के
की कार्यवाहियों के संदर्भ में विचार करना चाहेंगे । ये
यद्यपि उनका निबटारा संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा
सार रूप से सिविल कार्यवाहियों की प्रकृति की हैं ।

4.2. भरणपोषण के बारे में पंजाब का एक मामला
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक मा
प्रश्न उठा था कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया सं
की धारा 125 के अधीन निष्पादन अर्जी के ऐसे आदेश को
कर सकता था जो अर्जीदार की गैरहाजिरी के कारण व
आधार पर खारिज किया गया था । राजपुरा के न्यायि

कारावास का आदेश किया गया हो, भुगतान किए जाने तक, कार्यवाही करने के लिए ऐसा कठिन उपबंध किया गया है। इस उपचार का, प्रक्रियागत तकनीकी बातों के कारण, जैसे किसी विशेष दिन अर्जीदार की गैरहाजिरी, गला नहीं घोटा जा सकता। किसी विशेष मामले में, ऐसी गैरहाजिरी अर्जीदार के नियंत्रण के बाहर हो सकती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे पर्याप्त और उचित कारण हो सकते हैं जिनसे अर्जीदार मुकदमे की वास्तव में पुकार किए जाने पर हाजिर न हो सका, ऐसी परिस्थितियों में, व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए आवेदन को प्रत्यावर्तित न करने का परिणाम अन्याय हो सकता है। पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर न्यायालय को इस प्रकार के मामलों में व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए ऐसे आवेदनों को प्रत्यावर्तित करने की अंतर्निहित शक्ति होगी।

4.3. यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्यावर्तन के समर्थन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अब कमजोर पड़ सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बिन्देश्वरी के मामले[5] में यह घोषणा की है कि मजिस्ट्रेट की कोई अंतर्निहित शक्तियां नहीं हैं। अतः, वर्तमान स्थिति में जटिलताएं पैदा होने के पूरे कारण हैं और गंभीर अन्याय होने की संभावना है यदि विधि में उन सिफारिशों के अनुसार, जो हम करने जा रहे हैं, संशोधन नहीं कर दिया जाता।

4.4. <u>प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव</u> - हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि वे संशोधन, जिनकी ~~प्रस्ताव करने की~~ हम सिफारिश कर रहे हैं, स्वीकार किए जाने पर और क्रियान्वित हो जाने पर संबंधित न्यायालयों की, ऐसे मामलों में, प्रत्यावर्तन करने की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित उपबंधों के निर्वचन के संदर्भ में, किसी भावी

क्योंकि ऐसी अर्जियों को दांडिक परिवाद
समतुल्य नहीं माना जा सकता जिन्हें दंड
संहिता की धारा 256 की दृष्टि में रखते
परिवादी की गैरहाजिरी के कारण
आवश्यक है । अतः न्यायालय की अंतर्नि
का प्रयोग करते हुए ही, अर्जीदार की गैर
कारण, संहिता की धारा 125 के अधीन
खारिज किया जाता है । यदि ऐसा है त
कारण नहीं है कि न्यायालय को व्यक्ति
खारिज किए गए ऐसे आवेदनों को प्रत्याव
अंतर्निहित शक्ति नहीं होनी चाहिए यदि
अपनी गैरहाजिरी के लिए पर्याप्त कारण

संहिता के अध्याय 9 में कार्यवाहिय
अंतर्निहित रूप से सिविल अधिकार (जैसी ही हैं,
पत्नी, संतान और माता-पिता को भरण
का मंजूर किया जाना । अध्याय 9 के
के अधीन पारित किए गए ऐसे सभी आदेश,
ऊपर संक्षेप में देखा गया है, अंतरिम प्रकृ
और उन्हें उसमें उल्लिखित आधारों पर उ
परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है ।
ऐसे आदेश भरणपोषण की मंजूरी की बाबत सि
न्यायाधीशों द्वारा पारित अंतिम आदेशों
कोई हों, अधीन हैं । दंड प्रक्रिया संहिता,
का दावा करने के लिए अर्जीदारों को
की गई हो, एक शीघ्र और त्वरित उपचा
करती है । ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन के
ऐसी रकम को जुर्माने के रूप में वसूल करने
उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कुछ कार्य

सकता और आदेश को केवल इस आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने मामले को स्थगित करने में भूल की थी और उसे व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया था। क्योंकि मजिस्ट्रेट को धारा 256(1) के अधीन निबटाए गए मामले को प्रत्यावर्तित करने की कोई शक्ति नहीं है, अतः पारिणामिक हानि से कोई बचाव नहीं है भले ही परिवादी तत्पश्चात् यह साबित करने में समर्थ हो जाए कि सुनवाई के लिए नियत तारीख पर उसकी गैरहाजिरी के पर्याप्त कारण थे, और निर्मुक्ति के आदेश को तथा 'दोहरे जोखिम' के विरुद्ध प्रतिषेध को ध्यान में रखते हुए नया परिवाद लाने की सम्भावना नहीं है और जो भूल हो चुकी है उसे न तो वापिस लिया जा सकता है और न उसका सुधार हो सकता है।

5.3. पारिणामिक कठिनाई और संशोधन की आवश्यकता - वर्तमान स्थिति के कारण, जिसकी चर्चा संक्षेप में ऊपर की गई है, असहनीय कठिनाई उत्पन्न होती है और उसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तियों की निर्मुक्ति भी हो सकती है जो वास्तव में दोषी हैं, क्योंकि परंतुक के अंतर्गत न आने वाले मामलों में ऐसी निर्मुक्ति परिवादी की गैरहाजिरी का एक आज्ञापक परिणाम है (सिवाए तब जब मामले को स्थगित कर दिया जाए)। प्रथमदृष्टया, यह प्रतीत होता है कि उन मामलों में जहां परिवादी के पास सुनवाई की तारीख को हाजिर न होने के युक्तियुक्त कारण हों, मजिस्ट्रेट को निर्मुक्ति को अपास्त करने की और मामले को नए सिरे से सुनवाई करने के लिए नियत करने की शक्ति होनी चाहिए।

5.4.1. परिणामों की व्यापकता - इस संबंध में, संहिता के अंतर्गत सम्न मामलों और वारंट मामलों के रूप में वर्गीकृत किए गए मामलों पर दृष्टिपात करना उपयुक्त होगा ताकि मामले को प्रत्यावर्तित करने की शक्ति के अभाव से उत्पन्न परिणामों की व्यापकता का आकलन किया जा सके। संहिता की धारा 2 (४)

विरोधीमतों को समाप्त कर देने या उनका मार्ग बंद कर देने औ
इससे न्याय के उद्देश्यों का प्रोन्नयन होगाम

अध्याय 5

समन मामलों में परिवादी की गैरहाजिरी के संदर्भ में निर्मुक्ति की बाबत स्थिति

5·1· धारा 256 के अधीन स्थिति - इसी प्रकार की एक अ
की औ, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 256, जो अ
20 में है, और समन मामलों की सुनवाई से संबंधित है, ध्यान
किया जा सकता है। मोटे तौर पर, दो वर्ष के कारावास से द
अपराधों से संबंधित मामले इस वर्ग के अंतर्गत आते है। धारा 2
अधीन , यदि, किसी ऐसे समन मामले में जो परंतुक के अंतर्गत न
आता है, पारिवादी सुनवाई के लिए नियत तारीख पर गैरहा
तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निर्मुक्त कर देगा सिवाए तब जब व
समझता है कि सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित
उचित है और निर्मुक्ति के सामान्य परिणाम विधि के अंतर्गत प्र
जाएंगे ।

5·2· प्रत्यावर्तन की शक्ति का अभाव - निर्मुक्ति के आदेश
परिणाम यह है कि दोहरा जोखिम (double jeopardy) के
प्रतिषेध की दृष्टि से एक ही अपराध के लिए दूसरी सुनवाई नह
जा सकती । अतः निर्मुक्ति के विरुद्ध उपलब्ध उपचार संहिता की
378 के अधीन अपील के रूप में है। तथापि, उस उपबंध की शर्तें
कठोर हैं। किसी भी मामले में जहां गुणा अगुण के आधार पर नि
नहीं होता है, निर्मुक्ति का आदेश अपील के में गुणावगुण के आ
मान्य नहीं हो

पर ही लिया जाएगा और परिवादी की गैरहाजिरी के वही परिणाम होंगे जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है ।

5.4.3. विशेष विधियों के अधीन अपराधों की दशा में भी, यदि अपराध संज्ञेय है, तो न्यायालय परिवाद पर ही संज्ञान लेगा । उदाहरण के लिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8(1) उस अधिनियम के अधीन अपराधों को कतिपय प्रयोजनों के लिए संज्ञेय बनाती है, किंतु उसी अधिनियम की धारा 7(1)(ख) तब के सिवाए संज्ञान का प्रतिषेध करती है जब वह न्यायालय के ज्ञान, पुलिस रिपोर्ट या व्यथित व्यक्ति, आदि अथवा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर लिया जाए । दहेज की मांग करने के लिए दंड दो वर्ष के कारावास तक है (धारा 4), और इसके कारण इससे संबंधित अपराध समन मामला बन जाता है । ऐसे मामलों में भी, परिवादी या कल्याण संगठन की गैरहाजिरी के परिणामस्वरूप निर्मुक्ति हो सकती है ।

अत: यह स्पष्ट है कि विधि में संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि ऐसे सभी मामलों में अन्याय न हो सके ।

में यथापरिभाषित 'समन मामला' से ऐसा मामला अभिप्रेत
जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नह
धारा 2 (x) के अनुसार, 'वारंट मामला' से वह मामला
अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अ
अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। इस प्र
दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय सभी मामले संहित
अध्याय 20 के अधीन, जिसमें धारा 256 है, विचारणीय स
बन जाते हैं।

5.4.2. भारतीय दंड संहिता के अधीन समन मामलों की
जो परिशिष्ट 1 पर है, तथा कुछ अन्य केंद्रीय अधिनियमों
समन मामलों की सूची, जो परिशिष्ट 2 पर है, का परिशील
करता है कि समन मामलों के रूप में विचारणीय अनेक अपराध
व्यथित की दृष्टि से अथवा सामान्य जनसाधारण की दृष्टि
या मामूली नहीं कहे जा सकते।

कुछ उदाहरण देना लाभप्रद होगा - अतः जहां तक
अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध है, उदाहरण के
साधारण ठगी (धारा 517) का उल्लेख किया जा सकता है
लिए दंड एक वर्ष का कारावास है, यह असंज्ञेय है। धारा 4
अधीन अपराधभंग (दृष्टि) (50 रुपए या अधिक की नुकसानी
की भी एक उदाहरण के रूप में उधृत किया जा सकता है। इस
दंड दो वर्ष का कारावास है। यह भी असंज्ञेय है। जहां तक
वांडिक अभित्रास (धारा 506 का प्रथम भाग) का संबंध है, जो
के कारावास से दंडनीय है, समन मामला है और असंज्ञेय है।
धारा 509 के अधीन अपराध (स्त्री की लज्जा का अनादर क
है जिसके लिए एक वर्ष का साधारण कारावास उपबंधित है
अपराध संज्ञेय है फिर भी व्यवहार में ऐसा हो सकता है कि इ
स्त्री के परिवाद पर लिया जाए। इन सभी मामलों में संज्ञान

अध्याय 6

अंतर्निहित शक्तियां

6.1 **14वीं रिपोर्ट में किए गए सर्वेक्षण** - विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में, अंतर्निहित शक्तियों के प्रश्न पर विचार करते हुए, सिफारिश की थी कि सभी दांडिक न्यायालयों की ऐसी अंतर्निहित शक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए । तथापि, व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए मामलों के प्रत्यावर्तन की बाबत प्रश्न पर विधि आयोग ने उक्त रिपोर्ट में विचार नहीं किया था । विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का आशय निम्नलिखित प्रकार से था[1]:-

> "12. अंतर्निहित अधिकारिता के सिद्धांत को प्रथम बार कानूनी मान्यता, दांडिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों की दशा में, 1923 में दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 561क अधिनियमित कर के प्रदान की गई थी । यह धारा उच्च न्यायालयों में ऐसी अंतर्निहित शक्ति की विद्यमानता की परिकल्पना करती है और यह उपबंध करती है कि संहिता की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति को ऐसे आदेश करने से रोकती है जो वह संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को अन्यथा सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक समझता है । इस प्रकार मान्यता-प्राप्त अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को, अन्य बातों के साथ-साथ, न केवल उच्च न्यायालय, अपितु किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण

अध्याय 7

आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें

प्रथम सिफारिश

7.1. हाजिरी में व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई अर्जियों को प्रत्यावर्तित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त करने की बाबत सिफारिश - उपरोक्त विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, आयोग इसे वांछनीय समझता है कि न्याय के उद्देश्य के प्रोन्नयन की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 482क के रूप में उपबंध सम्मिलित किया जाना चाहिए जो हाजिरी में व्यतिक्रम या किसी अन्य व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई दांडिक पुनरीक्षण अर्जी का प्रत्यावर्तन करने के लिए न्यायालय को वहां समर्थ बनाए जहां ऐसा व्यतिक्रम पर्याप्त कारणों से हो । नई धारा इस प्रकार से हो सकती है:-

"482क. (1) जहां पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए की गई अर्जी आवेदक या उसके अधिवक्ता की हाजिरी में व्यतिक्रम के कारण, अथवा किसी अन्य व्यतिक्रम के कारण, खारिज कर दी जाती है वहां न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारणों से उपस्थित नहीं हो सका था, खारिजी के आदेश को खर्चे के साथ या अन्य ऐसे निबंधनों पर अपास्त करने का आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे तथा अर्जी पर कार्यवाई करने के लिए तारीख नियत करेगा :

परंतु प्रत्यावर्तन करने के लिए ऐसी किसी अर्जी को उस तारीख से, जिसको अर्जी व्यतिक्रम के कारण खारिज की गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के

करने के लिए सशक्त करती है । इस प्रकार, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रय अपनी समस्त कार्यवाहियों के संबंध में करती है व अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाहियों की बाबत भी करता है ।"

"13. तथापि, यह सामूनी मान्यता केवल उ की अंतर्निहित शक्तियों तक ही सीमित है । इसकी तुल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 द्वारा सभी न्यायालयों को, अंतर्निहित शक्तियों की मान्यता की जा सकती है ।"

हम पूर्वतर रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के स पुन: बल देते हैं और सिफारिश करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहित की धारा 482 का (जो अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है) इस के लिए संशोधन किया जाना चाहिए । तथापि, हमारा यह वि कि, संशोधन की वास्तव में विरचना करते समय उसमें प्रयुक्त स्वीकार्य होनी चाहिए न कि नकारात्मक, जैसा कि पूर्वतर रिप सुझाव दिया गया था । इसका कारण यह है कि उस समय ज सुझाव दिया गया था वह इस परिकल्पना पर था कि दांडिक को भी अंतर्निहित शक्ति प्राप्त थी और यह परिकल्पना गौरय मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के प्रकाश में अब स्वीक

निर्मुक्ति को केवल उच्चतर न्यायालय अपास्त कर सकती है । अतः, इस समस्या का समाधान करने के लिए यह उपबंध करना उचित होगा कि कि पारित किया गया आदेश "कार्यवाही की समाप्ति" के रूप में है तथा यह उपबंध भी करना होगा कि उसका प्रभाव तब तक निर्मुक्ति के आदेश के रूप में होगा जब तक कि व्यतिक्रम के कारण खारिजी का आदेश न्यायालय को प्रदान की गई प्रत्यावर्तन की शक्ति के अनुसरण में अपास्त नहीं कर दिया जाए ।

7.2.3. इस समस्या का निदान, निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करके, धारा 256 का संशोधन करके किया जा सकता है :-

(क) इस धारा के अधीन पारित आदेश कार्यवाही की समाप्ति का आदेश होगा जिसका प्रभाव वही होगा जैसा कि निर्मुक्ति के आदेश का, सिवाए तब जब उसे नीचे (ख) में उपबंधित के अनुसार अपास्त नहीं कर कर दिया जाए ।

(ख) ऐसे आदेश को (अभियुक्त को सूचना देने के पश्चात्) अपास्त किया जा सकता है यदि परिवादी, तीस दिन के भीतर किए गए आवेदन द्वारा, यह दर्शाता है कि परिवादी के हाजिर न रहने का पर्याप्त कारण था ।

7.3. हम सुझाव देते हैं कि धारा 256 का निम्नलिखित प्रकार से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए:-

"256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु -

(1) यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो, मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है :

के पश्चात् ही ग्रहण किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके अधीन अर्जी की सूचना प्रतिपक्षी पर तामील नहीं कर दी जाती ।

द्वितीय सिफारिश

7.2.1. हाजिर होने में व्यतिक्रम के कारण दांडिक मामले के प्रत्यावर्तन की बाबत तथा गैरहाजिरी के कारण अभियुक्त की पारिणामिक निर्मुक्ति की बाबत सिफारिश - आयोग की यह भी राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 256 का, पूर्वतर अध्याय[1] में की गई सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए, इससे पूर्व बताई गई स्थिति अंतर्निहित अन्याय का उपचार करने की आवश्यकता के प्रकाश में, संशोधित किया जाना चाहिए । कारण यह है कि किसी परिवादी के किसी परिवाद का केवल इस आधार पर गला नहीं घोंटा जा सकता कि परिवादी हाजिर होने में असमर्थ रहा था यद्यपि उसके ऐसी गैरहाजिरी के उचित और पर्याप्त कारण थे । न्याय की यह मांग है कि ऐसे व्यक्ति को केवल इस कारण अन्याय नहीं भोगना चाहिए उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है और वह न्यायालय भी काम के बोझ से दबा हुआ है । अतः, खारिजी को अपास्त करने और मामले को प्रत्यावर्तित करने की शक्ति दांडिक न्यायालय को देनी होगी ता वह विधि के अनुसार आगे कार्यवाही कर सके ।

7.2.2. इस उपबंध का, पारिणामिक आदेश की प्रकृति की बा भी, संशोधन करना आवश्यक होगा । यदि निर्मुक्ति का पारिणामि आदेश पारित कर दिया जाता है, जैसा कि इस समय उपबंध है, तो वही न्यायालय उसे अपास्त नहीं कर सकती भले ही वह निर्मुक्ति के आदेश के आधार पर दिए गए खारिजी के आदेश को अपास्त कर दे ।

मामले में कार्यवाही के लिए तारीख नियत करेगा :

परंतु ऐसी कोई अर्जी उस तारीख से, जिसको कार्यवाही समाप्त की गई है, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके अधीन अर्जी की सूचना अभियुक्त पर तामील नहीं कर दी जाती ।

तृतीय सिफारिश

7.4. विचारण न्यायालय को भी अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करने की बाबत संशोधन - अंत में, 14वीं रिपोर्ट में की गई पूर्वतर सिफारिश को, जिसको विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में भी दोहराया गया है, ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि न्याय करने आदि के बारे में न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति से संबंधित उपबंध का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि उच्च न्यायालय से भिन्न दांडिक न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की जा सके । अन्यथा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण की अर्जी भी, जो हाजिर रहने में व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दी गई हो, इस कारण से प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों को (उच्च न्यायालय के सिवाए) अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त नहीं हैं । तदनुसार हमारी सिफारिश है कि संहिता की वर्तमान धारा 482 को धारा 482(1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जा सकता है और उस धारा में एक नई उप-धारा निम्नलिखित प्रकार से जोड़ी जानी चाहिए :-

परंतु -

(क) जहां परिवादी की प्रतिनिधित्व प
द्वारा या अभियोजन का संचालन
वाले अधिकारी द्वारा किया जाता

(ख) जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि
की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं
मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभि
सकता है और मामले में कार्यवाही
है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां त
हो सके, उन मामलों को भी लागू ह
जहां परिवादी के हाजिर न होने क
उसकी मृत्यु है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही को स
करने के आदेश का, उपधारा (4) के उप
अधीन रहते हुए, वही प्रभाव होगा जो
के आदेश का है ।

(4) जहां कार्यवाही इस धारा के अधीन समा
कर दी जाती है, वहां न्यायालय, यदि
की अर्जी पर उसका यह समाधान हो जा
वह हाजिर होने से पर्याप्त कारणों से
रहा था, समाप्ति के आदेश को ऐसी श
जो खर्चे की बाबत या अन्यथा हों, अपास
का ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक

टिप्पण और संदर्भ

अध्याय 2

1. ए. एस. गौरिया बनाम एस.एन. ठाकुर (1986) क्रि0ला0 जे0, 1074 (एस सी): 1986 (2) एस.सी.सी. 709 ।

अध्याय 3

1. राम दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1952 इला0 926, 927, पृष्ठ 5 (बिंद बासनी प्रसाद, न्या0) ।
2. बिशेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1958) इला0 एल.जे. 489, 490 (आर.के. चौधरी, न्या0) ।
3. दीपक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1985) क्रि0 एल0 जे0 23, पैरा 6 (बम्बई) (कोठारिया, न्या0) ।
4. बिभूति मोहन राय बनाम सदी मोनी दासी (1909), क्रि0 एल0 जे0, 287, 288, 289 (कलकत्ता) (हैरिंगटन और कोट न्या0) ।
5. हाजी सलाउद्दीन अहमद बनाम बनमाली दास (1983), क्रि0 एल0 जे0 (एन ओ सी) 173 (गुहाटी) (के.एन. सैकिया न्या0)।
6. के0 कुनाहमद हाजी बनाम एम्परर, ए आई आर 1923 मद्रास 426, 432, 433 (वोल्डफील्ड तथा देवदास, न्या0) ।
7. राम अवतार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, ए आई आर 1957, पटना 33 ।
8. केशव लाल बनाम गैवरिया, ए आई आर 1952 राजस्थान, 50, 51, 52, पैरा 4 और 7 (वांछु मु0न्या0 तथा बापना न्या0) ।
9. राज मलैया बनाम नैवरादीनरसय्या (1959) आंध्र ला टाइम्स 227, 228 (श्रीनिवासाचारी, न्या0)।
10. एस.एन. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1971) क्रि0 एल0 जे0 1056, पैरा 3 (आंध्र प्र0) वेंकटेश्वर राव, न्या0) ।
11. मीना राम बनाम जिकलु बुधु, (1974) क्रि0 एल0 जे0, 718, 719 (हि0 प्र0) (डी.बी. लाल, न्या0) ।

"(2) उच्च न्यायालय से भिन्न दांडिक न्यायालयों को ऐसे आदेश करने की अंतर्निहित शक्तियां होंगी जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का निवारण करने के लिए अथवा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।"

7.5. हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

ह0
(एम. पी. ठक्कर)
अध्यक्ष

ह0
(वी. वी. एनजनयैलु)
सदस्य

ह0
(पी. एम. बक्शी)
सदस्य

ह0
(महेश चंद्र)
सदस्य

ह0
(जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति
सदस्य सचिव

नई दिल्ली तारीख 30 जुलाई, 1991

5. बिंदेश्वरी प्रसाद बनाम काली सिंह, ए आई आर 1977 एस सी 2432 ।

6. पैराग्राफ 7.1.

अध्याय 5

1. ए.एस. गौरिया बनाम एस.एन. ठाकुर (1986) क्रि० एल० जे० 1074 (एस सी): 1986 (2) एस सी सी 709 ।

अध्याय 6

1. भारत का विधि आयोग, 14वीं रिपोर्ट (न्यायिक प्रशासन का सुधार), पृष्ठ 820-821, पैरा 1 से 3 ।

2. भारत का विधि आयोग, 41वीं रिपोर्ट (दंड प्रक्रिया संहिता, 1898) पृष्ठ 359, पैरा 46.23 ।

3. ए.एस. गौरिया बनाम एस.एन. ठाकुर, (1986) क्रि० एल० जे०, 1074 (एस सी): 1986 (2) एस सी सी 709 ।

अध्याय 7

1. अध्याय 5, सुप्रा०

-2-

12. मानु बनाम विलासनी, (1980), केरल ला टाइम्स, 13,15, पैरा 3,4 (नाराण पिल्लै, न्या0) ।

13. रंगाराव बनाम एम्परर, (1912) 13 क्रि0 एल0 जे0, 710,23 एमएलजे 574, नरा अप्पैया में उल्लिखित, ए आई आर 1923 मद्रास 276 (1) ।

14. नरा अप्पैया बनाम दरई वैंकटप्पा, ए आई आर 1923 मद्रास 276(1) (वैलेस न्या0) ।

15. सुब्रमणियम बनाम रामास्वामी, एआईआर 1949 मद्रास 154 (गोविंद मेनन न्या0) ।

16. संकट सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1962 एस सी 1208 (1962) अनु0 एस सी आर 817 ।

17. बिंदेश्वरी प्रसाद बनाम काली सिंह, ए आई आर 1977 एस सी 2432 ।

18. उड़ीसा राज्य बनाम राम चंद्र अग्रवाल, ए आई आर 1979 एस सी 87, 91, पैराग्राफ 17 ।

19. ए.एस. गौरिया बनाम एन.एम ठाकुर, (1986) क्रि0 एल0 जे0 1074 (एस सी), 1986(2) एस सी सी 709 ।

20. बिंदेश्वरी प्रसाद बनाम काली सिंह, ए आई आर 1977 एस सी 2432 ।

अध्याय 4

1. कमला देवी बनाम महमा सिंह, (1989) क्रि0 एल0 जे0, 18 1871, (पंजाब और हरि0)(संपी0) पैराग्राफ 7 और 8

2. बी0 सावित्री बनाम गोविंदसिंह रावत, (1985) मैरिज ला 561 (एस सी) ।

3. प्रेमा जैन बनाम सुधीर कुमार जैन, (1980) 3 मैरिजला जर्नल 17 (दिल्ली)(1980) क्रि0 एल0जे0 80 (दिल्ली) ।

4. सुरजीत कामरा बनाम नीता, (1988) 3 मैरिज ला जर्नल 193 (दिल्ली) ।

बाट और माप

264 से 267 ।

लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टाचार और सदाचार

269 से 280, 282 से 291, 292, 294, 294क ।

धर्म

295 से 298 ।

मानव शरीर

304क, 309, 318, 323, 334, 336 से 338, 341 से 343, 345, 346, 352 से 358, 374, 376 (एक भाग), 376 क ।

संपत्ति

385-403, 417, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 434, 447, 448, 451, 453, 461 ।

दस्तावेज और संपत्ति चिह्न

465, 471, 482, 483, 486, 489, 48990 ।

~~अपराधिक-भंग~~

सेवा संविदाओं का आपराधिक भंग

491

विवाह

498

मानहानि

500-501, 502

आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ

504, 506 (प्रथम पैरा), 508, 509-510 ।

परिशिष्ट 1

भारतीय दंड की संहिता की वे धाराएँ जिनके अंतर्गत अपराध समन मामले हैं

दांडिक षड्यंत्र

120 ख(2)

सशस्त्र बल

135 से 140

लोक प्रशांति

153 से 158, 160

लोक सेवक

163, 166, 168 से 171

निर्वाचन

171 ङ0 से 171 फ

लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार

172-180, 182-190

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय

202 से 204, 206 से 210, 211 (पैरा 1),
212 (अंतिम पैरा) 213 (अंतिम पैरा), 214 (अंतिम पैरा),
215, 216 (अंतिम पैरा), 217, 221 (अंतिम पैरा), 223,
224, 225 (प्रथम पैरा), 225क(ख), 225ख, 227, 228,
228क, 229 ।

सिक्के और सरकारी स्टाम्प

254, 262

(1)	अधिनियम (2)	धाराएं (3)	अपराध (4)	शास्ति (5)
1.	अधिवक्ता अधिनियम, 1961	45	न्यायालयों में और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्तियां ।	6 मास तक का कारावास।
2.	कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937	4	अप्राधिकृत चिह्नांकन और ग्रेड अभिधान चिह्न के लिए शास्ति ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
8.		5	ग्रेड अभिधान चिह्न के कूटकरण के लिए शास्ति ।	तीन वर्षों तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
3.	कृषि उत्पाद निगम अधिनियम, 1956	48	निगम की लिखित सहमति से किसी प्रासपेक्टस या विज्ञापन में भांडागारण निगम के नाम का प्रयोग ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 का जुर्माना या दोनों ।
4.	वायु निगम अधिनियम, 1955	43	निगम की संपत्ति को अवैध रूप से प्रतिकूल रखने के लिए शास्ति ।	[illegible] वर्षों तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना ।
5.	वायुयान अधिनियम, 1934	10	अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए शास्ति ।	दो वर्षों तक का कारावास या जुर्माना ।
		11	ऐसी उड़ान करने के लिए जिससे खतरा पैदा हो ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों
		11क	अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति	

	25(3)	अन्यायुध के विक्रय या अंतरण को सुनिश्चित करने में असफलता ।	6 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	25(4)	ऐसा करने पर अनुज्ञप्ति परिदत्त करने में असफलता ।	-वही-
	25(5)	नाम या पता प्रकट करने में झूठा नाम और पता देना ।	6 मास तक का कारावास या 200 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	29	अप्राधिकृत व्यक्ति से आयुध का क्रय या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को किसी आयुध का दिया जाना।	6 मास तक का कारावास और 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	30	अनुज्ञप्ति का या अधिनियम अथवा नियमों का उल्लंघन जिनके लिए अधिनियम में किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है ।	तीन मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	31	पश्चात्वर्ती अपराध के लिए शास्ति ।	अपराध के लिए उपबंधित शास्ति की दुगनी ।
10. मुम्बई कंपनी अधिनियम, 1947	46(2)	कोई बही या खाते या अन्य दस्तावेज का उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने में असफलता जिसका कर्तव्य है कि वह उसे प्रस्तुत करे ।	2000 रु0 तक का जुर्माना ।
	46(3)	किसी आदेश के उल्लंघन में निक्षेप ।	निक्षेप की रकम के दुगने तक का जुर्माना ।
	46(4)	अधिनियम, नियम या किसी निदेश का उल्लंघन ।	2000 रु0 तक का जुर्माना ।

		के लिए शास्ति ।	
	12	अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए शास्ति ।	वही शास्ति जो अपराध के लिए है
6. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958	30	किसी संस्मारक को नष्ट करने, हटाने या क्षति पहुंचाने आदि के लिए शास्ति ।	तीन मास का कारावास या 500 रु0 तक का जुमाना या दोनों
7. प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 ।	16	किसी संस्मारक को नष्ट करने, हटाने या क्षति पहुंचाने आदि के लिए शास्ति ।	तीन मास का कारावास या 5000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
8. वास्तुविद् अधिनियम, 1972	36	रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए झूठा दावा करने के लिए शास्ति ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
	37	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा वास्तुविद् के नाम का प्रयोग करने के लिए शास्ति ।	पहला अपराध 500 रु0 तक का जुर्माना । दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	38	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित करने में असफलता के लिए शास्ति ।	100 रु0 तक का जुर्माना ।
9. आयुध अधिनियम, 1959	25(2)	धारा 9(क)(i) के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुध अर्जित करने, कब्जे में रखने या वहन करने के लिए शास्ति ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या जुर्माना या दोनों ।

11. भारतीय वायरलेस अधिनियम, 1923	22	वायरलेस के स्वामी द्वारा - (i) कतिपय ...	100 रु० तक का जुर्माना।
	21ख	अनुज्ञप्ति के बिना व्यवसाय करना।	200 रु० तक का जुर्माना।
13. इलायची अधिनियम, 1965	21	इलायची के आयात या निर्यात के नियंत्रण के आदेश का उल्लंघन।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
	23	झूठी विवरणी देना।	500 रु० तक का जुर्माना।
	24	कर्तव्य का निर्वहन करने में किसी अधिकारी या बोर्ड के सदस्य को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु० ...
	25	मूल्य नियंत्रण का उल्लंघन	- वही -
	26	अधिनियम के ऐसे उपबंधों के उल्लंघन के लिए अन्य शास्तियां जिनके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है।	- वही -
14. पशु अतिचार अधिनियम, 1871	24	पशुओं की जब्ती का बलपूर्वक विरोध करना या छुड़ाना।	6 मास तक का कारावास या ... रु० तक का जुर्माना या दोनों।
	26	सूअरों द्वारा जमीन, फसल या सार्वजनिक सड़कों का नुकसान।	10 रु० तक का जुर्माना।
	27	पशु-रक्षक द्वारा अपने ... में असफलता।	[illegible]
15. जनगणना अधिनियम, 1948	11(1)	अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का पालन करने में असफलता या बाधा डालना आदि।	6 मास तक का कारावास और 1000 रुपए तक का जुर्माना।
	11(2)	दुष्प्रेरण।	1000 रुपए तक का जुर्माना।
16. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944	17	अपराध में मौनानुकूलता।	6 मास तक का कारावास या ...

	(i) अंतिम आदेश के व्यर्पित करने, (ii) प्रमाण-पत्र को या अंतिम आदेश को मांगे जाने पर प्रस्तुत करने, (iii) बायलर के नए स्वामी को प्रमाण-पत्र या अंतिम आदेश सौंपने में असफलता या इंकारी ।	
23	बायलर का अवैध उपयोग	500 रु० तक का जुर्माना ।
24	अन्य शास्तियां	500 रु० तक का जुर्माना ।
25	रजिस्ट्रीकरण चिह्न में छेड़-छाड़ करना ।	-वही-
12, छावनी अधिनियम, 1924 118	न्यूसान्स करना	10 रु० तक का जुर्माना ।
119(5)	गली में कुत्ते को खुला छोड़ देना ।	100 रु० तक का जुर्माना ।
119(6)	खतरनाक कुत्ते रखना ।	200 रु० तक का जुर्माना ।
124(2)	अनुज्ञप्त परिसरों में सिनेमा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना ।	- वही -
125	खतरा उत्पन्न करने वाली आतिशबाजी करना ।	50 रु० तक का जुर्माना ।
184	अवैध निर्माण या पुनर्निर्माण	500 रु० तक का जुर्माना ।
193	संख्यांकों या नामों को नष्ट करना या उनके साथ छेड़-छाड़ करना।	25 रु० तक का जुर्माना ।

				(5)
	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957	65	प्रतिलिप्यों तैयार करने या उनका उल्लंघन करने के प्रयोजन के लिए प्लेटें कब्जे में रखना ।	दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माना ।
		67	मिथ्या प्रविष्टियां करना ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		68	मिथ्या विवरण देना ।	-वही-
28.	नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876	6	प्रतिषेध की अवज्ञा ।	तीन मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
29.	औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ।	27क	अध्याय 4 और नियमों के उल्लंघन में प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण, विक्रय आदि ।	एक वर्ष तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		28	विनिर्माता के नाम को प्रकट न करना ।	- वही -
		29	विश्लेषक की रिपोर्ट का विज्ञापनों के लिए प्रयोग ।	500 रु0 तक का प्रयोग ।
30.	औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954	7	अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
31.	भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910	40	विद्युत का दुर्भावपूर्ण व्यर्थ उपयोग या संकर्म को क्षति पहुंचाना ।	दो वर्ष तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		41	अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति द्वारा विद्युत की अप्राधिकृत आपूर्ति ।	3000 रु0 तक का जुर्माना ।
		42	अवैध या त्रुटिपूर्ण आपूर्ति या आदेश का अनुपालन ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
		43	विद्युत का अवैध पारेषण या प्रयोग ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।

		ऐसी झूठी जानकारी देना जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी या तलाशी की जाए ।	दो वर्ष तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	23	कर्तव्य का निर्वहन करने में अधिकारी की असफलता ।	तीन मास तक का कारावास या तीन मास तक के वेतन तक जुर्माना या दोनों ।
	24	विहित वहन से भिन्न वहन में उत्पाद-शुल्क्य माल का वहन ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	27	अधिकारियों को बाधा पहुंचाना ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
17. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968	18	कर्तव्य में असावधानता ।	6 मास तक का कारावास ।
18. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, [illegible]	10	बल के सदस्य द्वारा अपराध	1 वर्ष तक का कारावास या तीन मास तक के वेतन तक जुर्माना या दोनों ।
19. केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948	14	झूठी विवरणी दाखिल करना, अभिलेख प्रस्तुत करने में असफलता या बोर्ड के किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाना ।	एक वर्ष तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
20. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	3	वयस्क पुरुष (18 वर्ष से अधिक किंतु 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति) द्वारा बालिका से विवाह	15 दिन तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।

		44	मीटरों आदि के साथ छेड़-छाड़ करना	500 रु0 तक का जुर्माना ।
		45	सार्वजनिक लैम्पों को बुझाना ।	300 रु0 तक का जुर्माना ।
		46	विद्युत का अनवधानता से या व्यर्थ प्रयोग करना ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।
		47	ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
32.	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948	77	किसी निदेश, आदेश या अपेक्षा का पालन करने में या प्रभावी करने में असफलता ।	500 रु0 तक का जुर्माना।
33.	संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950	5	प्रतिषिद्ध नामों और संप्रतीकों का किसी व्यवसाय, कारबार आदि के लिए अनुचित प्रयोग ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
34.	शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968	20(1)	शत्रु, शत्रु प्रजा या फर्म को संदाय करना ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		20(2)	कस्टोडियन के आदेशों के अनुसार प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रीकरण न करना ।	- वही -
		20(3)	कस्टोडियन द्वारा जानकारी देने या अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने पर उसके समक्ष हाजिर न होना ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
		20(4)	संपत्तियों की विवरणी प्रस्तुत न करना ।	- वही -

	5	बाल विवाह कराना ।	-वही-
	6	अभिभावक।संरक्षक के लिए बाल विवाह की बाबत शास्ति।	-वही-
22. बालक अधिनियम, 1960	41	बालक के प्रति अत्याचार ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
	42	भिक्षावृत्ति के लिए बालक का नियोजन ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
	43	बालक को मादक द्रव या खतरनाक द्रव्य देना ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।
	44	बालक कर्मचारी का शोषण ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
23. चलचित्र अधिनियम, 1950	14	अधिनियम या नियमों के उल्लंघन में चलचित्र या परिसर का प्रयोग करना या प्रयोग करने की अनुज्ञा देना ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
24. नागरिकता अधिनियम, 1955	17	मिथ्या व्यपदेशन करना ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
25. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968	11	कृत्यों का निर्वहन करने में असावधानता।इंकार	500 रु0 तक का जुर्माना ।
26. जांच आयोग अधिनियम, 1952	10क	आयोग या उसके किसी सदस्य की कुख्याति करने के उद्देश्य से किए गए कार्य ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973	57	अधिनिर्णायक अधिकारी, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश का उल्लंघन ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		8(1)	प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा तंग करने के लिए तलाशी ।	2000 रु० तक का जुर्माना ।
		8(2)	झूठी जानकारी देना जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी या तलाशी की जाए ।	दो वर्ष तक का कारावास या 2000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
39.	भारतीय वन अधिनियम, 1927	62	संपत्ति की सदोष जब्ती ।	6 मास तक का कारावास या 500 रु० का जुर्माना या दोनों ।
		41	काष्ठ के परिवहन की बाबत नियमों का उल्लंघन ।	- वही -
		63	वृक्षों और काष्ठ पर चिह्नों की कूटरचना या विरूपण ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		33	वृक्षों को अवैध रूप से गिराना, वन भूमि आदि का अवैध रूप से काटा जाना ।	6 मास तक का कारावास या 500 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
40.	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976	25	अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के अपराध जिनके लिए किसी पृथक मद का उपबंध नहीं किया गया है ।	एक वर्ष तक का कारावास या 1000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
41.	अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952	20	अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों का उल्लंघन ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		21	माल की अग्रिम संविदा करने के लिए किसी स्थान का स्वामित्व रखना या उसकी देखभाल करना ।	दो वर्ष तक का कारावास या या जुर्माना या दोनों ।

		अनुचित की शर्तों के उल्लंघन में विस्फोटकों	3000 रु0 तक का जुर्माना या
		को कब्जे में रखना, उनका प्रयोग, विक्रय या परिवहन करना ।	दोनों ।
	9ख(1)(ग)	कोई अन्य उल्लंघन ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
36. कारखाना अधिनियम, 1948	92	अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन ।	3 मास तक का कारावास या 2000 रु0 तक का कारावास या द
	94	धारा 92 के अधीन दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध ।	6 मास तक का कारावास या 5(रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	95	कारखाना निरीक्षक को बाधा पहुंचाना ।	3 मास तक का कारावास या 5(रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	96	विश्लेषण के परिणाम को अनुचित रूप से प्रकट करना ।	- वही -
	97	नियोजक द्वारा किसी उपबंध का उल्लंघन	20 रु0 तक का जुर्माना ।
	98	झूठे सक्षमता प्रमाण-पत्र का प्रयोग ।	एक मास तक का कारावास या 5 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	99	बालक के दोहरे नियोजन की अनुज्ञा देना ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
37. भारतीय मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1897 ।	4	अंतर्देशीय जल और तटवर्ती क्षेत्रों में विस्फोटक द्वारा मत्स्यों का विनाश ।	2 मास तक का कारावास या 200 रु0 तक का जुर्माना ।
	5	जल में जहर मिलाकर मत्स्यों का विनाश ।	- वही -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		29	अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		30	गोपनीय जानकारी को प्रकट करना ।	6 मास तक का कारावास या 10 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		30क	अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने पर विना उपक्रम को बंद करना ।	6 मास तक का कारावास या 5 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		31	अधिनियम के अधीन अन्य अपराध ।	6 मास तक का कारावास या 10 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
45.	कीटनाशी अधिनियम, 1968	29	अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कीटनाशियों का आयात, विनिर्माण, विक्रय, वितरण या प्रयोग ।	दो वर्ष तक का कारावास या 2 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
46.	कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898	11	प्रतिषिद्ध व्यवसायों में कुष्ठ रोगियों का नियोजन ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
47.	लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 ।	13	निधि में निक्षेप करने में व्यतिक्रम, बही खाते या उत्पादों के लेखा, अभिलेख रखने या प्रस्तुत करने और जानकारी देने में असफलता ।	दो वर्ष तक का कारावास या 5 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
48.	भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912	92	पागलों का अनुचित ग्रहण करना या परिरुद्ध रखना ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
49.	भारी पैकेज चिह्नांकन अधिनियम, 1951	4	समुद्र या अंतर्देशीय जलमार्ग से परिवहन के लिए भारी पैकेजों पर भार सीमा चिह्न अंकित करने में असफलता ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।

	86	घोषणा करने में असफलता ।	रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
42. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 में			-वही-
	87	विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
	90	परिशोधनशाला के रूप में परिसर का प्रयोग अनुज्ञात करना ।	3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
	91	अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन जिनके लिए पृथक रूप से दंड का उपबंध नहीं किया गया है ।	2000 रु0 तक का जुर्माना ।
	94	संपत्ति को अवैध रूप से जब्त करना ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
	95(1)	स्वर्ण नियंत्रण कार्यालय द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता ।	
	96	ऐसी झूठी जानकारी देना जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी, तलाशी या जब्ती की जाए ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
	5क	अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा और अपील प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश का उल्लंघन ।	- वही -
43. आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947			एक मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों
44. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	26	अवैध हड़ताल और तालाबंदी ।	एक मास तक का कारावास या 100 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	27	हड़ताल में भाग लेने के लिए जनसाधारण को आंदोलित करना आदि के लिए शास्ति ।	- वही -
	28	अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8	किसी धातु की स्थानीय प्राधिकारियों या रेल द्वारा सिक्के के रूप में प्राप्ति ।	10 रु0 तक का जुर्माना ।
5.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 ।	29(1)	निरीक्षक के कार्यों में विघ्न डालना ।	3 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		29(2)	अभिलेख प्रस्तुत करने में असफलता ।	- वही -
		30	झूठे सशक्तता प्रमाण-पत्र का प्रयोग	एक मास तक का कारावास या 50 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		31	मोटर परिवहन कर्मकारों के नियोजन की बाबत उपबंधों का उल्लंघन ।	3 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		32	अन्य अपराध ।	- वही -
56.	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983	31	अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन नियम या आदेश का उल्लंघन ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
57.	उत्प्रवासन अधिनियम, 1983	24(1)	अवैध उत्प्रवास, मिथ्या जानकारी देना, आदेशों की अवज्ञा, उत्प्रवासियों से अधिक रकम लेना या उत्प्रवासी [illegible] ।	दो वर्ष तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना ।
		24(2)	उपरोक्त अपराध करने का प्रयास करना ।	- वही -
		24(4)	दुष्प्रेरण ।	- वही -
		24(3)	उत्प्रवासन अधिकार-पत्र के किसी निर्बंधन या शर्त का उल्लंघन ।	एक वर्ष तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
58.	आसूचना संगठन (अधिकार निर्बंधन) अधिनियम, 1985	4	संगम बनाने, भाषण की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का उल्लंघन ।	दो वर्ष तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		67	पारेषण के दौरान डाक थैले को रोकना या खोलना ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।
		68	डाक के थैलों को रखे रहना या गलत तरीके से परिदत्त करना ।	तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना ।
		69	पत्रों को अवैध रूप से ————————भेजना ।	6 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		70	अधिनियम के अधीन अपराधों का दुष्प्रेरण ।	- वही -
76.	भारतीय पावर एलकोहाल अधिनियम, 1948 ।	7	अधिनियम या उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
77.	प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 ।	12	मुद्रक का, प्रकाशक और मुद्रण/प्रकाशन के स्थान का नाम दिए बिना पुस्तक मुद्रित करना ।	6 मास तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		13	घोषणा दिए बिना मुद्रणालय चलाना ।	- वही -
		14	मिथ्या कथन करना ।	- वही -
		15	नियमों के विरुद्ध समाचार-पत्र मुद्रित या प्रकाशित करना ।	- वही -
		16	मुद्रक को पुस्तकें न देना या नकलों की आपूर्ति न करना ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
		16क	समाचार-पत्रों की निःशुल्क आपूर्तिकरने में असफलता ।	प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए 50 रु0 तक का जुर्माना ।
		16ख	मुद्रण/रजिस्ट्रार को समाचार-पत्रों की प्रतिलिपियां देने में असफलता ।	प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए 50 रु0 तक का जुर्माना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		24	अनुरक्षित कृत्रिम प्रकाश से स्पिरिट खींचना ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।
		25	वार्प लाने के बारे में निदेशों का उल्लंघन ।	- वही -
		26	सूर्यास्त के पश्चात् वार्प या लंगर को खुला छोड़ना ।	- वही -
		27	पत्तन में अग्न्यायुध का निष्पादन ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
		28	मास्टर द्वारा आग बुझाने के आदेश की अनसुना करना ।	6 मास तक का कारावास या 1000रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		29	अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तलाशी ।	100 रु0 तक का जुर्माना ।
		30	भंडार हटाना या किनारों को क्षति पहुंचाना ।	- वही -
		31	पायलट के बिना अथवा बंदरगाह मास्टर की अनुज्ञा बिना जलयान को हटाना ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।
		32	अग्निशामक संयंत्र न रखना।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
		51	जलयान के संख्यांक को प्रदर्शित करने में असफलता ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
		53	पायलट द्वारा अवज्ञा ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
		54	अधिनियम के अधीन नियम या आदेश की अवज्ञा	100 रु0 तक का जुर्माना ।
75.	डाक-घर अधिनियम, 1898	49	डाक का वहन करने में या परिदान करने के लिए नियोजित व्यक्तियों का कदाचार ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
		50	डाक का वहन करने या परिदान करने के लिए नियोजित व्यक्तियों द्वारा अनुमति या सूचना के बिना कर्तव्य से हटना ।	एक मास तक का कारावास या 50 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7	अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों में भाषण देना ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
81.	बंदी अधिनियम, 1894	41	किसी व्यक्ति को या उसके शरीर से प्रतिषिद्ध वस्तु रखना या हटाना तथा बंदियों के साथ आदान-प्रदान ।	6 मास तक का कारावास या 2000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
		54	बंदी गृह के अधीनस्थों द्वारा अपराध ।	3 मास तक का कारावास या 200 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
82.	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 ।	5	अधिनियम के उल्लंघन में किसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का प्रोन्नयन करने या चलाने के लिए कदम उठाना ।	तीन वर्ष तक का कारावास या 3000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
83.	पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955	9	अधिनियम के उल्लंघन में किसी पुरस्कार प्रतियोगिता का प्रोन्नयन करना ।	3 मास तक का कारावास या 1000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
		10	रकम को रखने या प्रस्तुत करने में असफलता ।	एक मास तक का कारावास या 500 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
		11	अधिनियम के उल्लंघन में पुरस्कार प्रतियोगिता का प्रोन्नयन करने या चलाने के लिए कदम उठाना।	6 मास तक का कारावास या 500 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
84.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 ।	3	धार्मिक निर्योग्यताओं को प्रवृत्त करना ।	6 मास तक का कारावास और 500 रु० तक का जुर्माना ।
		4	सामाजिक निर्योग्यताएं प्रवृत्त करना ।	- वही -
		5	अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इंकारी ।	- वही -

	158	वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
	160	जानकारी का अनुचित प्रकार से प्रकटन ।	6मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
78. प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम, 1951 ।	26	डिपो बनाए बिना प्रेस रखना या समाचार-पत्र प्रकाशित करना ।	6 मास तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
	27	अप्राधिकृत समाचार-पत्र और अप्राधिकृत समाचार-पत्र शीट का प्रचार करना ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
79. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 ।	11	पशुओं के प्रति क्रूरता का बरताव करना ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
	12	गाय या अन्य दुधारू पशु को फूका या दूधदेव बीमारी से परित्राण न करना ।	दो वर्ष तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों।
	20	अधिनियम के अधीन गठित समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों या आदेश का उल्लंघन ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।
	26	अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड न किए गए व्यक्ति द्वारा पशुओं आदि का प्रदर्शन या प्रशिक्षण ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
80. राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911	6	अधिनियम के उल्लंघन में सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		123	लोकोमोटिव, ट्रामगाड़ी या अन्य गाड़ी के चालक की आज्ञा का पालन न करना अथवा रेल सेवक या पुलिस के निदेशों के पालन करने से इंकार करना ।	20 रु0 तक का जुर्माना ।
		124	गेट या लेवल क्रासिंग खोलना या समुचित प्रकार से बंद न करना ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
		125	रेल क्षेत्र में पशु अतिचार ।	10 रु0 प्रति पशु जुर्माना और इसके अतिरिक्त पशु अतिचार अधिनियम के अधीन वसूलीयोग्य ।
		129	रेल से, सड़क से, यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना अथवा अनवधानतापूर्वक किया गया कार्य या लोप ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
88.	रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 ।	17	बल के सदस्यों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा करना	6 मास तक का कारावास ।
89.	सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 ।	27	प्रतिषिद्ध वस्तुओं को देना या छुड़ाना या प्रदाय करना और युवा अपराधियों के साथ आदान-प्रदान करना ।	6 मास तक का कारावास या 200 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		28	युवा अपराधियों को बच निकलने के लिए दुष्प्रेरित करना ।	- वही -
90.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969	23(1)	जन्म/मृत्यु की बाबत जानकारी अधिनियम के अधीन अपेक्षित सूचना या अन्य जानकारी देने में असफलता ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।

111	सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करना	50 रु0 तक का जुर्माना ।
112	समुचित पास या टिकिट के बिना यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना ।	3 मास तक का कारावास या 100 रु0 तक का जुर्माना ।
114	टिकिटों का अप्राधिकृत विक्रय ।	3 मास तक का कारावास या 250 रु0 तक का जुर्माना ।
116	पास या टिकिट में फेर-फार करना या उन्हें विरूपित करना ।	- वही -
117(1)	संक्रामक रोग या अवस्था वाले व्यक्ति द्वारा यात्रा ।	20 रु0 तक का जुर्माना ।
117(2)	रेल सेवक द्वारा ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने की अनुज्ञा देना ।	100 रु0 तक का जुर्माना ।
118	चलती हुई गाड़ी में प्रवेश करना या रेल पर अनुचित प्रकार से अन्यथा यात्रा करना ।	एक वर्ष तक का कारावास या ~~जुर्माने तक~~ 50 रु0 तक के जुर्माने के साथ ।
119	महिलाओं ~~कस्टम~~ के लिए आरक्षित डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करना ।	100 रु0 तक का जुर्माना ।
120	रेल पर शराब पीना या न्यूसान्स करना ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
120क	रेल पर माल का प्रचार या विक्रय करना ।	250 रु0 तक का जुर्माना ।
121	कर्तव्यारूढ़ रेल ~~के~~ सेवक को बाधा पहुंचाना ।	6 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
122	अतिचार और अतिचार करने से रोके जाने से इंकार करना ।	3 मास तक का कारावास या 150 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95	भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 ।	13	मानक चिह्न का अनुचित प्रयोग ।	10,000 रु० तक का जुर्माना ।
		14	अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन ।	1000 रु० तक का जुर्माना ।
96	बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ।	50	गैर मानक बाट या माप का प्रयोग ।	6 माह तक का कारावास या 1000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
		51	मानकों में फेर-फार करना या परिवर्तन करना ।	दो वर्ष तक का कारावास या 5000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
		52	विनिर्माताओं द्वारा मानकों या बाटों का अनुरूप न बनाया जाना ।	~~1000 रु० तक का~~ एक वर्ष तक का कारावास या 2000 रु० तक का जुर्माना या दोनों ।
		53	बाट या मानक के अननुरूप बाट या माप का क्रय ।	- वही -
		54	निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना ।	दो वर्ष तक का कारावास ।
		55	अनिर्दिष्ट बाट, मानक या संविदाकृत संख्या से व्यवसाय करना या उनका प्रयोग करना ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		57	संविदाकृत मात्रा या संख्या से कम माल का विक्रय या परिदान करना या सेवा देना ।	5000 रु० तक का जुर्माना ।
		58	अपेक्षित अभिलेख रखने में असफलता ।	6 माह तक का कारावास और जुर्माना ।
		64	अधिनियम के अधीन रजिस्टर कराए बिना बाट या माप का निर्यात या आयात ।	6 माह तक का कारावास और जुर्माना ।

		23(2)	रजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मृत्यु को रजिस्टर करने में असफलताइकारी ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
		23(4)	अधिनियम के उपबंधों का कोई अन्य उल्लंघन ।	10 रु0 तक का जुर्माना ।
91.	विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939	5	अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का निम्नलिखित द्वारा उल्लंघन:	
			(क) विदेशी व्यक्ति द्वारा	एक वर्ष तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
			(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विदेशी नहीं है	500 रु0 तक का जुर्माना ।
92.	धानकुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 ।	13(1)	अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण या प्रयास ।	एक वर्ष तक का कारावास या 10,000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		13(2)	विवरण देने या जानकारी, अभिलेख आदि प्रस्तुत करने में असफलता ।	3 मास तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
93.	भारतीय सराय अधिनियम, 1867 ।	14	अधिनियम या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन ।	20 रु0 तक का जुर्माना और इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जबतक अपराध जारी रहता है, एक रुपया प्रतिदिन का जुर्माना ।
94.	स्पिरिटयुक्त निर्मिति(अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य)नियंत्रण अधिनियम, 1955 ।	5	अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन ।	एक वर्ष तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		9(1)	तंग करने के लिए तलाशी या जब्ती, आदि ।	2000 रु0 तक का जुर्माना ।
		9(2)	ऐसी मिथ्या जानकारी देना जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी, तलाशी या	~~3 मास~~ एक वर्ष तक का कारावास या ~~2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों~~ जुर्माना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		25क	तार लाइनों या खंभों को क्षति पहुंचाना या बाधा डालना ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
		28	तार अधिकारी का कदाचार ।	3 मास तक का कारावास या 100 रु0 तक का जुर्माना ।
		29क.	ऐसा दस्तावेज़ बनाना या जारी करना जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास किया जा सकता हो कि वह डाक और तार महा-निदेशक के प्राधिकार से जारी किया गया है ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
		30	मूल से दिए गए संदेश को कपटपूर्वक परिवर्तित ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		32	अपराध करने का प्रयास करना ।	वही दण्डित जो अपराध के लिए विहित है ।
98.	तारयंत्र संबंधी तार (विधि-विरुद्ध कब्ज़ा) अधिनियम, 1950	6	घोषणा करने में असफलता ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
99.	व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958	78	मिथ्या व्यापार चिह्न, चिह्न विवरण, आदि का प्रयोग ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		79	ऐसे माल का विक्रय जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या व्यापार विवरण दिया गया है ।	- वही -
		80	ऐसा माल, सूत या धागे का विक्रय के लिए हटाना, विक्रय करना, कब्ज़े में रखना जो चिह्नित नहीं है ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।

(1)	(2)			
		65	मानकबाट या माप के अनुरूप पैक किए गए रूप में वस्तु का निर्यात ।	5000 रु0 तक का जुर्माना ।
		66	मैट्रिक पद्धति से रहित बाट या माप का आयात ।	5000 रु0 तक का जुर्माना ।
		67	अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन जिसके लिए अन्यत्र किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है ।	2000 रु0 तक जुर्माना ।
		70	मिथ्याजानकारी या मिथ्या विवरण देना ।	6 मास तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		71	अधिकारियों द्वारा कर्म करने की कार्रवाई ।	एक वर्ष तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
97.	भारतीय तार अधिनियम, 1885	20क	अनुज्ञप्ति की शर्तों का भंग ।	1000 रु0 तक का जुर्माना ।
		21	अप्राधिकृत तार का प्रयोग ।	50 रु0 तक का जुर्माना ।
		22	रेल भूमि पर तार स्थापित करने का विरोध करना ।	ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है 1000 रु0 तक का जुर्माना ।
		23	संकेत कक्ष में अप्राधिकृत प्रवेश, तार कार्यालय में अतिचार ।	500 रु0 तक का जुर्माना ।
		24	संदेशों की विषय-वस्तु को जानने का अवैध प्रयास करना ।	एक वर्ष तक का कारावास ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.	वन्य पक्षी और जीवजन्तु संरक्षण अधिनियम, 1912	4	बंदी के समय के दौरान वन्य पक्षी या जीवजन्तु को पकड़ना, विक्रय करना, क्रय करना या मारना।	एक मास तक का कारावास या 100 रु0 तक का जुर्माना या दोनों।
106.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	51	अधिनियम या नियम या उनके अधीन बनाए गए किसी आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन।	दो वर्ष तक का कारावास या 2000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों।
		52	प्रयास या दुष्प्रेरण।	- वही -
		53	विधिविरुद्ध जब्ती।	6 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों।
107.	भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933	6(1)	अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी बेतार तार संयंत्र को कब्जे में रखना।	250 रु0 तक का जुर्माना।
108.	अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956	3	अपहानिकर प्रकाशन का विक्रय, किराए पर देना या वितरण करना।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

टिप्पण: 1. उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है, केवल उदाहरणस्वरूप है।

2. उपरोक्त सूची में केवल केंद्रीय अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार के राज्य अधिनियम भी हैं।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त, मोटर-यान अधिनियम, दुकान और स्थापन अधिनियम, नगर पालिका अधिनियमों के अधीन अपराध भी संक्षिप्त रूप से विचारणीय हैं।

-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		81	ऐसे व्यापार चिह्न का मिथ्या व्यपदेशन जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।	6 मास तक का कारावास या 500 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
		82	व्यापार चिह्न कार्यालय से संबद्ध कारबार के स्थान का अनुचित रूप से विवरण देना ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		83	रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टियाँ करना ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
100.	भारतीय ~~खजाना~~ निखात निधि अधिनियम, 1878	20	पता लगाने वाले द्वारा सूचना देने में असफलता ।	~~1000 रु0 तक~~ एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
		21	उपरोक्त अपराध का दुष्प्रेरण ।	6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।
101.	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	10	विधिविरुद्ध संगम का सदस्य होने के लिए शास्ति ।	दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माना ।
		12	प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में किसी वस्तु का प्रयोग ।	एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना ।
102.	टीका अधिनियम, 1880	22	अधिनियम, नियमों या आदेशों के उपबंधों का उल्लंघन ।	6 मास तक का कारावास या 1000 रु0 तक का जुर्माना या दोनों ।
103.	साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942	9	अधिनियम, नियमों या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन ।	250 रु0 तक का जुर्माना ।
104.	सफेद फास्फोरस दियासलाई प्रतिषेध अधिनियम, 1913 ।	5	नमूना लेने से निरीक्षक को बाधा पहुंचाना ।	200 रु0 तक का जुर्माना ।